(152)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 1999/आषाढ़ 21, 1921

No. 357] NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 1999/ASADHA 21, 1921

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1999

सा. का. नि. 515 (अ).—केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अधिनियम, 1961 (1961 का 35) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा, दमन और दीव राजमार्ग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 10) का विस्तार जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को गोवा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर करती है, अर्थात :-

उपांतरण

1. जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, गोवा, दमण और दीव राजमार्ग अधिनियम, 1974 सम्पूर्ण अधिनियम में,-

(क) " गोवा, दमण और दीव " शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर " दादरा और नागर हवेली " शब्द रखे जाएंगे,

(ख) धारा 1 की उपधारा (1) के सिवाय " इस अधिनियम " शब्द जहां-जहां वे वे आते हैं, के स्थान पर," दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित इस अधिनियम " शब्द रखे जाएंगे,

(ग) धारा 19 की उपधारा (2) और धारा 20 के सिवाय "सरकार" शब्द जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर " प्रशासक " शब्द रखा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी किए जाएंगे जैसे कि व्याकरण के नियमों द्वारा अपेक्षित हैं ।

2. धारा 2 में, खंड (क) को खंड (क क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) " प्रशासक " से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है, "

3. धारा 19 की उपधारा (2) में "सरकार" शब्द के स्थान पर " केन्द्रीय सरकार " शब्द रखे जाएंगे ।

4. धारा 20 में "सरकार" शब्द जहां-जहां आता है कि स्थान पर "केन्द्रीय सरकार " शब्द रखे जाएंगे ।

5. धारा 37 में," पुलिस अधीक्षक " शब्द जहां-जहां वे आते हैं, " के स्थान पर " " पुलिस का प्रधान " शब्द रखे जाएंगे ।

6. धारा 66 में, गोवा, दमण और दीव भूराजस्व संहिता,1968 "शब्दों के स्थान पर " दादरा और नागर हवेली भुमि सुधार विनियम, 1971 " शब्द रखे जाएंगें ।

7. धारा 72 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से, उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । "

[एफ. सं. यू- 11015/11/95-यू.टी.एल. (198)]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

उपाबंध

गोवा, दमण और दीव राजमार्ग अधिनियम,1974

§ 1974 का अधिनियम संख्यांक 10 §

§ 21 जून,1974 §

राजमार्गों के साथ पट्टी विकास के निबंधन का, उन पर अधिक्रमणों के निवारण और हटाए जाने का, राजमार्गों के सन्निर्माण, आनुरक्षण और विकास का, सुधार प्रभारों के उद्ग्रहण का और उनसे संबंधित कतिपय अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

यह समीचीन है कि राजमार्गों के साथ पट्टी विकास के निबंधन का, उन पर अधिक्रमणों के निवारण और हटाए जाने का, राजमार्ग के सन्निर्माण, अनुरक्षण और विकास का, सुधार प्रभारों के उद्ग्रहण का और कतिपय अन्य विषयों का उपबंध किया जाए,

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में गोवा, दमण और दीव विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - §1§ इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गोवा, दमण और दीव राजमार्ग अधिनियम, 1973 है ।

§2§ इसका विस्तार सम्पूर्ण गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र पर है ।

§3§ यह धारा तुरंत प्रवृत्त होगी । सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध ऐसे क्षेत्र में और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु सरकार, उसी रीति से अधिसूचना जारी करके, ऐसे क्षेत्र में स्थित किसी सड़क या मार्ग या सड़कों या मार्गों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से अपवर्जित कर सकेगी ।

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में प्रतिकूल न हो, -

(क) " पशु " से कोई घरेलू या बंदी पशु अभिप्रेत है ,

(ख) " निर्माण" के अन्तर्गत किसी भी सामग्री और किसी भी रीति से सन्निर्मित कोई निर्माण है, जिसके अन्तर्गत कृषि प्रयोजनों के लिए फार्म भवन भी है) और इसके अन्तर्गत कुर्सी, देहली, दीवारें, जिनके अन्तर्गत अहाता सीमा दीवारें और बाड़े हैं, तथा वैसी ही चीजें भी हैं,

(ग) "निर्माण सीमा-रेखा" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में नियत ऐसे राजमार्ग या उसके भाग के किसी भी तरफ की रेखा अभिप्रेत है,

(घ) " नियंत्रण रेखा" से धारा 7 की उपधारा(1) के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी राजमार्ग या उसके भाग के संबंध में नियत निर्माण सीमा-रेखा से परे ऐसे राजमार्ग या उसके भाग के किसी भी तरफ की रेखा अभिप्रेत है,

(ङ) "अधिक्रमण से किसी राजमार्ग या उसके भाग का कोई अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं -

(i) राजमार्ग के पास या उसके ऊपर या आसन्नवर्ती किसी भवन का अप्राधिकृत निर्माण या कोई अन्य सन्निर्माण, बाल्कनी, बरसाती, बाहर निकले हुए भाग,

(ii) निर्माण सामग्री या किसी अन्य वर्णन के माल का ढेर लगाने, विक्रयार्थ वस्तुओं को प्रदर्शित करने, सांचे,सायबान,तंबू,पंडाल, विज्ञापन पट्ट और अन्य समरूप निर्माण स्थापित करने या यानों को पार्क करने या पशुओं को रखने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए विहित अवधि, यदि कोई हो, से परे किसी राजमार्ग का अप्राधिकृत अधिभोग , और

(iii) अप्राधिकृत उत्खनन या किसी राजमार्ग के पास या ऐसे राजमार्ग के नीचे लगाए गए या फैलाए गए किसी प्रकार के ढेर,

(च) किसी भवन के संबंध में, " निर्माण करना " से, इसके विभिन्न व्याकरण रूपों के साथ, किसी भवन का सन्निर्माण करना, पुनः सन्निर्माण करना, विस्तार करना या उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करना अभिप्रेत है,

(छ) किसी भूखंड के संबंध में, "उत्खनन" के अन्तर्गत कोई ऐसा कार्यकरण नहीं है जिसमें उस भूखंड की सतह को छिद्रित नहीं किया जाता है किंतु इसके अन्तर्गत कुएं और तालाब हैं,

(ज) "सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त गोवा,दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ,

§ङ§ " राजमार्ग " से कोई सडक या मार्ग अभिप्रेत है जिस पर जनता का मार्गाधिकार है या उन्हें उस पर पहुंच अनुदत्त की गई है और जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 3 के अधीन राजमार्ग घोषित किया गया है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :-

§।§ कोई ऐसी भूमि जिसे उसके साथ राजमार्ग का सन्निर्माण करने की दृष्टि से अर्जित या सामांकित किया गया है,

§।।§ ऐसी सडक या मार्ग से संलग्न ढलान, पटरी खनती, पगडंडी, सडक की पटरी, और पार्श्व, अडानी तथा सीमा नाले,

§।।।§ ऐसी सडक या मार्ग पर या उसके संपर्क में सन्निर्मित सभी पुलिया, सुरंग, पहुंच मार्ग, वाहन मार्ग, और अन्य संरचना , और

§।।/§ सडक या मार्ग या ऐसे राजमार्ग से अनुलग्न किसी भूमि पर सभी वृक्ष बाड़े, स्तंभ, सीमा, फर्लांग, और मील पत्थर तथा जमा किए गए अन्य राजमार्ग उपसाधन और सामग्री,

§ज§ " राजमार्ग प्राधिकारी " से धारा 4 के अधीन उस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत हैं या जिसे ऐसे प्राधिकारी के कृत्य सौंपे गए हैं,

§झ§ " राजमार्ग सीमा " से धारा 7 की उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी राजमार्ग के संबंध में नियत ऐसे राजमार्ग की सीमाएं अभिप्रेत हैं ,

§ञ§ " पहुंच के साधन " के अन्तर्गत यानों या पैदल यात्रियों के लिए पहुंच का कोई साधन है, चाहे प्राइवेट हो या सार्वजनिक और इसके अन्तर्गत कोई मार्ग भी है ,

§ट§ " राजमार्ग का मध्य " से राजमार्ग की सीमाओं के बीच का बीचो-बीच बिंदु अभिप्रेत है ,

§ठ§ अधिभोगी के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :-

§।§ कोई ऐसा व्यक्ति जो तत्समय स्वामी को भाटक का संदाय कर रहा है या संदाय करने का दायी है या उन परिसरों के, जिनकी बाबत ऐसा भाटक संदत्त किया जाता है या संदेय है, भाटक के किसी भाग का संदाय कर रहा है या संदाय करने का दायी है ,

§।।§ कोई ऐसा स्वामी जो अपने परिसर में रह रहा है या उसका अन्यथा उपयोग कर रहा है ,

§।।।§ भाटक मुक्त किरायदार ,

§।।/§ कोई अनुज्ञप्तिधारी जिसके अधिभोग में कोई परिसर है,

§।/§ कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वामी को किसी परिसर के उपयोग और अधिभोग के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायी है ,

(ण) " राजपत्र " से गोवा, दमण और दीव सरकार का राजपत्र अभिप्रेत है ,

(त) " स्वामी " से अभिप्रेत है -

(1) जब किसी परिसर के संबंध में उपयोग किया जाए तब वह व्यक्ति जो उक्त परिसर का भाटक प्राप्त करता है या जो उसका भाटक प्राप्त करने का हकदार होता, यदि परिसर को किराए पर दिया जाता और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित है :-

(i) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो स्वामी मद्दे ऐसा भाटक प्राप्त करता है,

(ii) कोई अभिकर्ता या न्यासी जो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए अर्जित किसी परिसर का भाटक प्राप्त करता है या जिसे ऐसा परिसर सौंपा गया है या जो उससे संबंधित है ,

(iii) सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई रिसीवर अधिपत्यकर्ता या प्रबंधक ,

(iv) कोई कब्जाधीन बंधकदार ;

(2) जब किसी संस्था या निगमित निकाय के संबंध में उपयोग किया जाय तब ऐसी संस्था या निगमित निकाय का प्रबंधक ।

(थ) " विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ,

1890 का केन्द्रीय अधिनियम 9

(द) " रेल प्रशासन " का वही अर्थ है जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 में

(ध) " यान " के अन्तर्गत ठेला, स्लेज, लांगल, हेंगा और किसी वर्णन का पहियादार वाहन है जो किसी राजमार्ग पर उपयोग किए जाने में समर्थ है,

(न) इस अधिनियम में प्रयुक्त " भूमि " " हितबद्ध व्यक्ति " और " कार्य करने के लिए हकदार व्यक्ति " पदों के वही अर्थ हैं जो उक्त पदों के अर्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में है ।

1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1

अध्याय 2

राजमार्गों की घोषणा, राजमार्ग प्राधिकारी और उनकी शक्तियां और कृत्य

3. सड़कों, मार्गों और भूमियों की राजमार्गों के रूप में घोषणा- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी सड़क, मार्ग या भूमि को राजमार्ग के रूप में घोषित कर सकेगी और उसका निम्नलिखित रूप में वर्गीकरण कर सकेगी -

(i) राज्य राजमार्ग
(ii) मुख्य जिला सड़क ,
(iii) अन्य जिला सड़क, या
(iv) ग्राम सड़क ।

4. राजमार्ग प्राधिकारियों की नियुक्ति- सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या इसके उपबंधों में से किसी के प्रयोजनों के लिए किन्हीं व्यक्तियों या किसी प्राधिकारी को गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में या संघ राज्यक्षेत्र के किन्हीं मार्गों में सभी राजमार्गों के लिए या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट राजमार्ग या उसमें राजमार्गों के लिए राजमार्ग प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी ।

5. राजमार्ग प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य- ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो राजमार्ग प्राधिकारी को नियुक्त करने वाली अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए और सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, कोई राजमार्ग प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राजमार्गों के साथ पट्टी विकास के निर्बंधन, अतिक्रमणों के निवारण और हटाए जाने तथा आवश्यक और किन्हीं या सभी उपर्युक्त विषयों के आनुषंगिक सभी विषयों के लिए शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा । सरकार के अनुमोदन तथा ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के जो सरकार इस निमित्त दे अधीन रहते हुए भी, किसी राजमार्ग प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजमार्ग का सन्निर्माण, अनुरक्षण, विकास या सुधार करे ।

6. राजमार्ग प्राधिकारी के अधिकारी और सेवक - इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन राजमार्ग प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, सरकार उतने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्त कर सकेगी जितने वह ऐसे प्राधिकारी के अधीन काम करने के लिए आवश्यक समझे ।

अध्याय 3

पट्टी विकास का निबंधन

7. राजमार्ग की सीमा निर्माण और नियंत्रण रेखाएं नियत करने की शक्तियां -
(1) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के प्रबंध उपबंध प्रवर्तन में लाए गए हैं, और

(1) जहां धारा 3 के अधीन किसी भी सड़क, मार्ग या भूमि को राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है अथवा किसी राजमार्ग के सन्निर्माण या विकास का जिम्मा लिया गया है या जिम्मा लिए जाने का प्रस्ताव है, और

(2) सरकार ऐसे राजमार्ग की बाबत राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा या नियंत्रण रेखा नियत करना आवश्यक समझती है, वहां सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राजमार्ग की बाबत राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा और नियंत्रण रेखा नियत कर सकेगी :

परन्तु किसी राजमार्ग की स्थिति या अपेक्षाओं या उस स्थानीय क्षेत्र की दशा को, जिससे होकर कोई राजमार्ग जाता है, ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी राजमार्ग या उसके भागों की बाबत भिन्न-भिन्न निर्माण या नियंत्रण रेखाएं नियत करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने के कम से कम साठ दिन पूर्व, सरकार, विहित रीति से उस ग्राम और जिला के तालुका के मुख्यालय में, जिसमें राजमार्ग स्थित है, यह घोषित करते हुए एक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कराएगी कि वह उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार एक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और उसमें ऐसी अधिसूचना के अधीन नियत किए जाने के लिए प्रस्तावित राजमार्ग की सीमा और नियंत्रण रेखा के बीच स्थित सभी भूमि और नए संकर्म की दशा में, ऐसी भूमि भी, जिसकी यथास्थिति, राजमार्ग के सन्निर्माण या विकास द्वारा लाभप्रद है, विनिर्दिष्ट की जाएगी, तथा उसके साथ ऐसी अधिसूचना द्वारा प्रभावित ऐसे सभी व्यक्तियों से, जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की बाबत कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहते हैं, राजमार्ग प्राधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन से दो मास के भीतर या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, लिखित रूप में अपने आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने या ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करने वाली सूचना होगी ।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे सभी आक्षेपों या सुझावों पर विचार किए जाने या सुने जाने के पश्चात और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, अपने द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख की एक प्रति आक्षेपों या सुझावों पर अपनी सिफारिशें वर्णित करते हुए एक रिपोर्ट के साथ, सरकार को भेजेगा ।

§4§ यदि, आक्षेप या सुझाव फाइल करने या सुने जाने के लिए उपधारा §2§ द्वारा अनुज्ञात समय के समाप्त होने के पूर्व, कोई आक्षेप नहीं किया गया है या सुझाव नहीं दिया गया है, तो सरकार उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना जारी करने की तुरंत कार्यवाही करेगी । यदि कोई ऐसा आक्षेप किया गया है या सुझाव दिया यगा है तो सरकार उपधारा§3§ में निर्दिष्ट अभिलेख और रिपोर्ट पर विचार करेगी और -

§क§ या तो उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना जारी करने प्रस्ताव को छोड़ देगी, या

§ख§ उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना ऐसे उपांतरण सहित, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, जारी करेगी ।

§5§ आक्षेपों या सुझावों पर विचार करने में, सरकार का उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना जारी करने के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।

8. नक्शे का तैयार किया जाना और बनाए रखा जाना - §1§ किसी राजमार्ग की बाबत राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा और नियंत्रण रेखा नियत करने वाली धारा 7 की उपधारा§1§ के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास के भीतर, राजमार्ग प्राधिकारी उस क्षेत्र का, जिससे होकर ऐसा राजमार्ग जाता है, नक्शा तैयार कराएगा और उस पर राजमार्ग की सीमाएं तथा निर्माण और नियंत्रण रेखाएं तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक कोई अन्य विशिष्टियां अंकित कराएगा और उसमें कोई परिवर्तन या परिवर्तन अंकित करने की तारीख से एक मास के भीतर उक्त नक्शे में संशोधन कराएगा तथा अंतिम समय की, जब उसमें ऐसा संशोधन किया यगा है, उस पर उपदर्शित तारीख के साथ नक्शा राजमार्ग प्राधिकारी के कार्यालय में रखा जाएगा ।

§2§ ऐसा नक्शा, जिस पर राजमार्ग प्राधिकारी की मुद्रा होगी, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा ।

§3§ ऐसे नक्शे की प्रतियां भी ऐसे अन्य स्थानों पर, जो विहित किए जाएं निरीक्षण के लिए रखी जाएंगी ।

9. राजमार्ग की सीमा और निर्माण सीमा-रेखा के बीच तथा निर्माण और नियंत्रण रेखाओं के बीच निर्माणों पर निबंधन - §1§ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढि, करार या लिखित में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ही, निम्नलिखित निबंधन, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त होंगे, अर्थात् कोई भी व्यक्ति , राजमार्ग प्राधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना -

§क§ यथास्थिति, उपधारा§2§ के अधीन नियत किए जाने के लिए प्रस्तावित या धारा 7 की उपधारा§1§ के अधीन नियत राजमार्ग की सीमा और निर्माण सीमा-रेखा के बीच पड़ी किसी भूमि पर,

§।§ किसी राजमार्ग तक या उससे पहुंच के किसी साधन का सन्निर्माण नहीं करेगा, ढांचा या अभिन्यास तैयार नहीं करेगा , या

§।।§ कोई निर्माण खड़ा नहीं करेगा, या

§।।।§ किसी विद्यमान निर्माण में तात्विक रूप से परिवर्तन नहीं करेगा, या

§।।/§ कोई उत्खनन नहीं करेगा या उसका विस्तार नहीं करेगा, या

§।/§ किसी संकर्म का सन्निर्माण नहीं करेगा, ढांचा या अभिन्यास तैयार नहीं करेगा , या

(ख) यथास्थिति, उपधारा (2) के अधीन नियत किए जाने के लिए प्रस्तावित या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियत निर्माण सीमा-रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच पड़ी किसी भूमि पर,

(I) किसी राजमार्ग तक या उससे पहुंच के किसी साधन का सन्निर्माण नहीं करेगा, ढांचा या अभिन्यास तैयार नहीं करेगा, या

(II) कोई निर्माण खड़ा नहीं करेगा, या

(III) किसी विद्यमान निर्माण में तात्विक रूप से परिवर्तन नहीं करेगा ,

(ग) पहले से ही ऐसी रीति से निर्मित किसी निर्माण का उपयोग नहीं करेगा या उसके उपयोग में परिवर्तन नहीं करेगा, जो, राजमार्ग प्राधिकारी की राय में, किसी रीति में, जो भी हो, इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी का अतिलंघन करती है या उस भूमि से, जिस पर ऐसा निर्माण खड़ा किया जाता है, लगे राजमार्ग के उपयोग में बाधा डालती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी अनुज्ञा अभिप्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति राजमार्ग प्राधिकारी को, लिखित रूप में ऐसे प्ररूप में और ऐसी जानकारी से युक्त आवेदन करेगा जो, यथास्थिति, निर्माण, परिवर्तन, उत्खनन, संकर्म या पहुंच के साधन की बाबत, जिससे आवेदन संबंधित है, विहित की जाए ।

(3) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, राजमार्ग प्राधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, लिखित रूप में आदेश द्वारा, -

(क) या तो ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञा प्रदान करेगा, या

(ख) ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से इंकार करेगा :

परंतु,

(I) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी भूमिगत मलनाली, नाले, विद्युत लाइन,पाइप, वाहिनी या अन्य साधित्र की मरम्मत, उसका नवीकरण, उसे बढ़ाने या उसका अनुरक्षण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में कोई उत्खनन करने या संकर्म के सन्निर्माण, ढांचा या अभिन्यास तैयार करने की अनुज्ञा रोकी नहीं जाएगी, न ही किसी शर्त के अधीन होगी सिवाय उतने के जितना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि मलनाली, नाला, विद्युत लाइन, पाइप, वाहिनी या अन्य साधित्र ऐसी रीति से और ऐसे स्तरों पर नहीं डाला जाएगा जिससे कि उस पर की किसी सड़क का सन्निर्माण, अनुरक्षण, विकास या सुधार निवारित हो या उससे प्रतिकूलतः प्रभावित हो ,

(II) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी निर्माण के खड़ा करने या उसमें परिवर्तन की या किसी राजमार्ग तक पहुंच के किसी साधन के अभिन्यास की, जो लोक स्वास्थ्य और कल्याण तथा लगी हुई सड़क पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा के अनुरूप है, अनुज्ञा न तो रोकी जाएगी न ही अनुचित शर्तों के अधीन होगी :

परंतु कृषि प्रयोजनों के लिए अपेक्षित पहुंच के साधन की दशा में, ऐसी अनुज्ञा न तो रोकी जाएगी न ही किन्हीं शर्तों के अधीन होगी सिवाय उतने के जितना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि पहुंच के साधन का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए ही होगा ,

§iii§ उपखंड§1§ के खंड §ख§ के अधीन किसी ऐसे निर्माण को, जो नियत दिन के पूर्व विद्यमान था, पुनः खड़ा करने या उसमें परिवर्तन की अनुज्ञा तब तक न तो रोकी जाएगी न ही निबंधनों के अधीन होगी जब तक कि ऐसे पुनः खड़ा करने या परिवर्तन में निर्माण के बाह्य रूप में कोई तात्विक परिवर्तन अंतर्वलित न हो ।

§4§ जब राजमार्ग प्राधिकारी अनुज्ञा से इंकार करता है तो उसके लिए जो कारण है उनको लेखबद्ध किया जाएगा और उन्हें आवेदक को संसूचित किया जाएगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त रूप में उसे संसूचित आक्षेपणीय खास बातों को, जिनके कारण ऐसी अनुज्ञा से इंकार किया गया था, उससे लोप करने के पश्चात् नया आवेदन करनेसे विवर्जित नहीं करेगी ।

§5§ यदि आवेदक का नाम और पता विनिर्दिष्ट करते हुए ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन के पश्चात तीन मास की अवधि की समाप्ति पर या तीस मास से अधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि जिसे राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया हो, बीत गई है और कोई भी विनिश्चय लिखित रूप में आवेदक को उस पते पर अधिसूचित नहीं किया गया है, डाक में नहीं डाला गया है या परिदत्त नहीं किया है, तो सिवाय उसके जो राजमार्ग प्राधिकारी और आवेदक के बीच लिखित रूप में अन्यथा तय पाया गया हो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञा राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा किन्हीं शर्तों को अधिशोषित किए बिना दे दी गई है ।

§6§ राजमार्ग प्राधिकारी, इस धारा के अधीन अपने द्वारा दी या इंकार की गई सभी अनुज्ञा की पर्याप्त विशिष्टियों सहित रजिस्टर रखेगा और रजिस्टर सभी हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और ऐसे व्यक्ति उससे उद्धरण लेने के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, "नियत दिन" से, किसी राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा या नियंत्रण रेखा के संदर्भ में, अभिप्रेत होगा -

§1§ वह दिन जिसको धारा 7 की उपधारा§2§ के अधीन ऐसी राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा या नियंत्रण रेखा नियत करने का प्रस्ताव करने वाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, और

§2§ यदि ऐसी राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा या नियंत्रण रेखा में कोई उपांतरण किया जाता है तो वह दिन, जिसको धारा 7 की उपधारा §1§ के अधीन ऐसी राजमार्ग की सीमा, निर्माण सीमा-रेखा या नियंत्रण रेखा नियत करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है ।

10. **अपील.**- (1) यदि कोई आवेदक धारा 9 के अधीन राजमार्ग प्राधिकारी के किसी विनिश्चय स व्यथित है, जिसमें अनुज्ञा विधारित, की गई है या कोई शर्त अधिरोपित की गई है, तो वह उस तारीख से जिस तारीख को उसे ऐसा विनिश्चय संसूचित किया गया था, तीस दिनों के भीतर, सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात, अपील पर ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वह उचित समझे और सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

11. **उन संकर्मों को जो चल रहे हैं छूट, आदि.**- (1) धारा 9 के अधीन प्रवृत्त कोई निर्बंधन किसी पहुच या संकर्म मार्ग के भवन के परिनिर्माण या निर्माण या उत्खनन या संनिर्माण या बनाव या बिछाए जाने को लागू नहीं होगा जो धारा 9 में निर्दिष्ट नियत दिन से पहले प्रारंभ हो चुके हैं ।

(2) पहुंचमार्ग के संनिर्माण, बनाव या बिछाए जाने, के सिवाय धारा 9 के अधीन प्रवृत्त कोई निर्बंधन किसी ऐसी भूमि को लागू नहीं होगा जो किसी कब्रिस्तान या शमशान या किसी ऐसे अन्य स्थान का भाग है जो मृतक को जलाए या दफन किए जाने के लिए है और जो ऐसी भूमि है जो इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व ऐसे प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही थी ।

(3) धारा 9 के अधीन प्रवृत्त कोई निर्बंधन ऐसे किसी उत्खनन या संकर्म को लागू नहीं होगा जो किन्ही नालियों, खाईयों और जलनिकास के संकर्मो के संबंध में कृषि के प्रयोजनो के लिए आवश्यक है या किसी ऐसे संकर्म को लागू नहीं होगी जो ऐसी तारीख से पूर्व जिससे ऐसे निर्बंधन प्रवृत्त हुए थे या राजमार्ग प्राधिकारी की सहमति से उस तारीख को या उसके पश्चात किसी मलनाली, नाली, विद्युतलाइन, पाइप, वाहिनी या किसी साधित्र जो किसी भूमि में या भूमि पर बना हुआ है, की मरम्मत, नवीकरण, विकास या रख-रखाव के लिए आवश्यक है ।

12. **भवनो को भवन लाइन या नियंत्रण लाइन पर पुनःस्थापित करना.**- जहा धारा 9 मे निर्दिष्ट नियत दिन से पूर्व किसी भवन या उसका परिनिर्मित कोई भाग भवन लाइन और राजमार्ग के मध्य मे स्थित है, वहा राजमार्ग प्राधिकारी, जहां ऐसा कोई भवन या उसका भाग या तो पूर्णरूप से या अधिकतर रूप से गिरा दिया गया है, जल गया है, गिर गया है, सूचना देकर ऐसे भवन या उसके भाग को उनके पुनःपरिनिर्माण होने पर भवन लाइन या नियंत्रण लाइन पर पुनःस्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

13. **राजमार्ग पहुंच के अधिकार का विनियमन या विचलन** - (1) यदि यातायात की सुरक्षा या सुविधा के हित मे यह आवश्यक समझा जाता है तो राजमार्ग प्राधिकारी नियंत्रण लाइन और राजमार्ग सीमा के बीच पड़ी हुई भूमि के साथ राजमार्ग को पहुंच के किसी विद्यमान अधिकार को विनियमित या विचलित कर सकेगी :

परंतु पहुंच का विद्यमान अधिकार तब तक विचलित नहीं किया जाएगा जब तक कि वैकल्पिक पहुंच नहीं बना दी गई हो ।

(2) जहां पहुच के विद्यमान अधिकार को विचलित किया गया है वहां वह स्थान जहां राजमार्ग को वैकल्पिक पहुंच बनाई गई है पहुंच के विद्यमान स्थान से अयुक्तियुक्त दूरी पर नहीं होगी ।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, वह तारीख प्रकाशित करेगा जिसको पहुंच का विद्यमान अधिकार विचलित किया है और वैकल्पिक पहुंच दी गई है ।

14. **सर्वेक्षणों के संबंध में धारा 6 के अधीन नियुक्त राजमार्ग प्राधिकारी और अधिकारियों तथा सेवकों की शक्तियां.**- इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए राजमार्ग प्राधिकारी और धारा 6 के अधीन नियुक्त अधिकारी तथा सेवक —

(क) किसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगें, सर्वेक्षण कर सकेगे और माप तथा समतलिका ले सकेगें ;

(ख) समतलिकाओं को चिन्हित कर सकेगें, किसी भूमि की ऊपरी मिट्टी को खोद या बोर कर सकेगे ;

(ग) पूरे राजमार्ग के साथ अन्तरालों पर स्थायी प्रकृति के पत्थर लगाकर या विभिन्न रंगों में अन्य उपयुक्त चिन्ह लगाकर राजमार्ग की सीमाओं का सीमाकंन ऐसी रीति में कर सकेगें कि ऐसे पत्थरों या चिन्हों को जोड़नेवाली काल्पनिक लाइन सड़क सीमा को ठीक प्रकार से दर्शित करे ।

(घ) ऐसे स्थान पर जहां सड़क सीमा पर मोड़ या घुमाव है, पत्थर या विभिन्न रंगों में चिन्ह इस प्रकार स्थापित कर सके जिससे कि यदि उन्हे एक सीधी रेखा से मिलाया जाए तो यह सीमा की सही आकृति हो ;

(ङ) ऐसे सीमा पत्थरो या चिन्हों को क्रमवार संख्यांक दे सकेगे और उन्हें भूमि पर इस प्रकार बनाए रखेगे मांनो कि वे राजमार्ग के भाग के रूप में है ;

(च) विभिन्न रंगों में चिन्ह बनाकर तथा खाईयां काटकर भवन और नियंत्रण लाइन बना सकेंगे;

(छ) यदि सर्वेक्षण अन्यथा रीति में नहीं किया जा सकता है या किए गए समतल या चिन्हित सीमा या बिछायी गई लाइनों का माप नहीं लिया जा सकता तो किन्ही खड़ी हुई फसलों,वृक्षों, बाड या जगल या उसके किसी भाग को काटकर साफ कर सकेगें ;

(ज) इस निमित्त अन्य सभी आवश्यक कार्य कर सकेगें;

परंतु राजमार्ग प्राधिकारी, उसके अधिभोगी की सहमति के सिवाय, अधिकारियों या सेवको मे से किसी को ऐसे अधिभोगी को ऐसा करने के अपने आशय की अड़तालीस घंटे की पूर्व सूचना दिए बिना, परिसर में प्रवेश नहीं कराएगा या अनुज्ञा नही देगा ।

15. **भूमि का अर्जन या भूमि में अधिकार या हित** -(1) राजमार्ग प्राधिकारी के आवेदन पर किसी भी समय यदि सरकार को यह समाधान हो जाता है कि कोई भूमि राजमार्ग के प्रयोजनो के लिए अपेक्षित है या किसी भूमि में किसी व्यक्ति के किसी अधिकार या हित उक्त प्रयोजनो के लिए अपेक्षित है, उन्हें अनिवार्य रूप से, यथास्थिति, अर्जित या निर्वापित किए जाने चाहिए तो राजपत्र में उस आशय की एक अधिसूचना प्रकाशित करना सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा । ऐसी अधिसूचना ऐसी अन्य रीति में भी प्रकाशित की जाएगी जो विहित की जाए ।

(2) इस प्रकार प्रकाशित कोई अधिसूचना ऐसी घोषणा समझी जाएगी कि राजमार्ग के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भूमि की आवश्यकता है, या उसमें के अधिकार या हित निर्वापित किए जाने चाहिए और ऐसी घोषणा इस बात के लिए निश्चायक होगी कि भूमि की इस प्रयोजन के लिए आवश्यक है या उसमे के अधिकार या, हित इस प्रकार निर्वापित किये जाने अपेक्षित हैं।

16.चिन्हित की जानेवाली और माप के लिए अपेक्षित भूमि- राजमार्ग प्राधिकारी या राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या सेवक तत्पश्चात भूमि पर चिन्हाकन करवाएगा । वह इसकी मापगी करवाएगा और यदि उसकी कोई योजना नहीं बनायी गई है तो उसकी एक योजना बनवाएगा ।

17.अर्जन के लिए ऐसी अपेक्षाओं की लोकसूचना और अन्य सूचनाएं - (1) राजमार्ग प्राधिकारी इसके पश्चात सुविधाजनक स्थानो पर या ऐसी भूमि के निकट यह कथन करते हुए एक लोकसूचना निकालेगा कि सरकार भूमि का, यथास्थिति, कब्जा लेने का आशय रखती है या भूमि में के कोई अधिकार या हित निर्वापित करने का आशय रखती है और यह कि ऐसी भूमि में के सभी हितों के लिए प्रतिकर या भूमि में के किसी अधिकार या हित के, जिन्हे निर्वापित किया जाना है, प्रतिकर के दावे ऐसे अधिकारी को किए जाएं जिसे राजमार्ग प्राधिकारी अभिहित करे ।

(2) ऐसी सूचना में इस प्रकार अपेक्षित भूमि के विवरणों या निर्वापित किए जानेवाले भूमि में अधिकार या हित के विवरणों का कथन होगा और यह अपेक्षा होगी कि भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति या जिनके ऐसी भूमि में के अधिकार या हित, जो निर्वापित किए जाने हैं, ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे समय जो उल्लिखित किया जाए (यह समय सूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात पन्द्रह दिन से पूर्व नहीं होगा), जो अभिहित किया जाए, व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता के माध्यम से उपसंजात हों और उसमें, यथास्थिति, अपने अपने अधिकारों की प्रकृति, भूमि में हित या निर्वापित किए जानेवाले अधिकार और हित की प्रकृति तथा ऐसे

अधिकार या हित या दोनो के लिए प्रतिकर के उनके दावों की विशिष्टियां तथा उनके आक्षेपों, यदि कोई हो, जो धारा 16 के अधीन किए गए मापों के बारे में है, का कथन होगा । राजमार्ग प्राधिकारी, किसी मामले में, ऐसे कथन लिखित में या पक्षकार या अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए हुए होने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) राजमार्ग प्राधिकारी ऐसी भूमि के अधिभोगी और ऐसे सभी व्यक्तियों पर, जिनका भूमि में हित जो ज्ञात है या उसमें उनका हित होने का विश्वास है या जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों के लिए कार्य करने के हकदार हैं और जो उस जिले के भीतर निवास करते हैं जहां भूमि स्थित है या जो उनके आधार पर तामील लेने के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता रखते हैं, भी सूचना की तामील करेगा ।

(4) ऐसे मामले में जहां इस प्रकार हितबद्ध कोई व्यक्ति कहीं अन्यत्र निवास करता है उस पर धारा 71 में उपबंधित रीति मे सूचना की तामील की जाएगी ।

18. हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के संबंध में कथन करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति -(1)राजमार्ग प्राधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसे समय जो अर्जन की तारीख के पश्चात पन्द्रह दिन से पूर्व न हो, ऐसा कथन करे या दे जिसमें, जो जहां तक व्यवहार्य हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो जो भूमि में या उसके किसी भाग में, यथास्थिति, कोई हित रखता हो या अधिकार या हित, जिसे निर्वापित किया जाना है, सहस्वत्वधारी, उपस्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी या अन्यथा रूप में रखता है और ऐसे हित की प्रकृति और भाटक और लाभ,यदि कोई हों, ऐसे कथन की तारीख से अगले पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संबंध मे उसके लिए प्राप्त किए गए हैं या प्राप्त किए जाने वाले हैं ।

(2) इस धारा के अधीन या धारा 17 के अधीन किए जाने के लिए या देने के लिए कथन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति भारत दंड संहिता की धारा 175 और 176 के अर्थान्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा ।

19. भूमि का कब्जा लिया जाना -(1)धारा 15 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात किसी भी समय सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना के विनिर्दिष्ट कोई भूमि का, यथास्थिति, कब्जा लिया जाएगा या उसमें विनिर्दिष्ट कोई अधिकार या हित ऐसी तारीख से जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, निर्वापित हो जाएगा ।

(2) ऐसी तारीख से उक्त भूमि सरकार मे, यथास्थिति, आत्यन्तिक रूप से सभी प्रकार के विल्लंगमो से मुक्त निहित हो जाएगी या उसमे के ऐसे अधिकार या हित निर्वापित हो जाएंगे।

अध्याय 4

राजमार्ग पर अप्राधिकृत अधिभोग और अधिक्रमण का निवारण तथा अधिक्रमण का हटाया जाना

20. राजमार्ग का भाग होनेवाली भूमि का सरकारी संपत्ति समझा जाना - ऐसी सभी भूमि जो राजमार्ग की भाग है और जो पहले से ही सरकार में निहित नहीं है इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, सरकार की संपत्ति समझी जाएगी ।

21. राजमार्ग के अप्राधिकृत अधिभोग का निवारण - (1) कोई व्यक्ति राजमार्ग प्राधिकारी या राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना राजमार्ग सीमाओं के भीतर किसी राजमार्ग का अधिभोग नहीं रखेगा या अधिक्रमण नही करेगा ।

(2) यातायात की सुरक्षा और सुविधा को दृष्टिगत करते हुए और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिरोपित की जाए तथा ऐसे नियमो के अधीन जो सरकार द्वारा विहित किए जाए और ऐसे अधिभार और अन्य प्रभारों का संदाय करने पर जो ऐसे नियमो मे विहित किए जाएं, राजमार्ग प्राधिकारी या इस निमित्त राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :-

(i) उसके स्वामित्व वाले किसी भवन के सामने किसी राजमार्ग पर कोई अस्थाई अधिक्रमण खड़ा करने या राजमार्ग के ऊपर झूलती हुई अस्थाई संरचना बनाने के लिए, या

(ii) किसी राजमार्ग पर अस्थाई सायबान या तम्बू, पंडाल या अन्य इसी प्रकार का परिनिर्माण या अस्थाई स्टाल या पाड़ रखने के लिए, या

(iii) किसी राजमार्ग पर विक्रय के लिए भवन निर्माण सामग्री, माल या अन्य वस्तुएं जमा करने के लिए या जमा करवाए जाने के लिए, या

(iv) संलग्न भवनों में कोई मरम्मत या सुधार करवाने के लिए अस्थाई उत्खनन करने के लिए ;

परंतु यह कि ऐसी अनुज्ञा छह मास की अवधि से परे तब तक विधिमान्य नहीं समझी जाएगी जब तक कि इसका राजमार्ग प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा व्यक्त रूप से नवीकरण न कर दिया गया हो ।

(3) इस प्रकार प्रदान की गई अनुज्ञा में वह तारीख स्पष्टतया विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस तक व्यक्ति को राजमार्ग के अधिभोग के लिए प्राधिकृत किया गया है, वह प्रयोजन जिनके लिए अधिभोग प्राधिकृत है और अधिभोग किए जाने वाले अनुज्ञात राजमार्ग का निश्चित भाग, और, यदि आवश्यक हो, राजमार्ग के उस भाग की योजना या रेखाचित्र भी इसके साथ लगाया जाएगा ।

(4) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसी अनुज्ञा प्रदान की गई है अनुज्ञा पत्र को, निरीक्षण के लिए जब कभी ऐसा करने के लिए उपधारा(1) के अधीन राजमार्ग प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कहा जाए, पेश करेगा और अनुज्ञा पत्र मे विनिर्दिष्ट अवधि के अन्त मे अपने द्वारा अधिभोग वाली भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करने के पश्चात जिससे कि वह उसके अधिभोग से पूर्व थी, निर्मुक्त कर देगा ।

(5) अनुज्ञा जारी करने वाला राजमार्ग प्राधिकारी या अधिकारी जारी की गई ऐसी सभी अनुज्ञाओं का सपूर्ण अभिलेख रखेगा और प्रत्येक मामले मे उस अवधि की समाप्ति के पश्चात जब तक कि अधिभोग को प्राधिकृत किया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि वस्तुत: खाली कर दी गई है, उसकी जाच भी करवाएगा ।

22. **अनुज्ञा पत्र रद्द करने की शक्ति.**-(1) राजमार्ग प्राधिकारी धारा 21 के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञा को रद्द कर सकेगा -

(क) यदि कोई अधिभार या प्रभार सम्यक रूप से संदत्त नहीं किया गया है ।

(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है विद्यमान नहीं रह गया है ।

(ग) अनुज्ञा धारक द्वारा ऐसी अनुज्ञा या ऐसी अनुज्ञा के किसी निबंधन या शर्तों का भग करने की दशा मे ।

(घ) यदि वह भूमि जिसपर ऐसा अधिक्रमण किया गया है किसी लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है या ऐसा अधिक्रमण यातायात मे अड़चन या खतरा बन गया है ।

(2) जहां कोई अनुज्ञा उपधारा(1) के खड(ख)या(घ)के अधीन रद्द की गई है, वहां अग्रिम रूप से संदत्त कोई अधिभार या प्रभार का प्रतिदाय,उस राशि को काटकर, यदि कोई है,जो सरकार को देय है, ऐसी अनुज्ञा के धारक को कर दिया जाएगा ।

23. **अधिक्रमण का निवारण** -(1)जब राजमार्ग पर बनायी गई सीमाओं या अन्यथा जांच के परिणामस्वरूप यह ज्ञात होता है कि किसी राजमार्ग पर कोई अधिक्रमण किया गया है तब राजमार्ग प्राधिकारी या धारा 21 की उपधारा(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि पर उससे

ऐसा अधिक्रमण हटाने की अपेक्षा करते हुए और भूमि को उसकी मूल स्थिति में जिसमें वह अधिक्रमण से पूर्व थी प्रत्यावर्तित करने के लिए, सूचना मे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, एक सूचना की तामील करेगा ।

(2) सूचना मे अधिक्रमण की गई भूमि और वह समय सीमा जिसके भीतर अधिक्रमण हटाया जाएगा विनिर्दिष्ट की जाएगी और यह भी कथन किया जाएगा कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन में असफल रहने पर दायी व्यक्ति का अभियोजन किया जाएगा और वह संक्षिप्त बेदखली के लिए दायी होगा ।

(3) यदि सूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अधिक्रमण नहीं हटाया जाता है और अननुपालना के लिए कोई वैध कारण दर्शित नहीं किया जाता है तो राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को अधिक्रमण करने या करवाने के लिए और उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर हटाने में असफल रहने के लिए समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजित कर सकेगा।

(4) जहां कोई अधिक्रमण वस्तुओं को विक्रय के लिए रखने, विक्रय के लिए अस्थाई बूथ खोलने या किसी तुच्छ प्रकृति के ऐसे ही प्रयोजन के लिए किया गया है, वहां राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति, पुलिस की सहायता से, यदि आवश्यक हो, उपधारा(1) द्वारा अपेक्षित रूप मे किसी सूचना को जारी किए बिना ऐसा अधिक्रमण संक्षेपत: हटा सकेगा या अधिक्रमण को हटाने के बदले में अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति को अधिक्रमण किए गए क्षेत्र के लिए अधिभार का संदाय करने पर राजमार्ग प्राधिकारी के पक्ष मे एक पट्टा निष्पादित करने का विकल्प प्रदान कर सकेगा ।

(5) जब अधिक्रमण अस्थायी प्रकृति का है और इसे सरलता से हटाया जा सकता है किन्तु यह ऐसा नहीं है जिसे उपधारा(4) के अर्थान्तर्गत तुच्छ कहा जा सकता हो तब राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा(3) के अधीन अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति को अभियोजित करने के साथ या उसके स्थान पर, यदि आवश्यक हो, पुलिस की सहायता से, अधिक्रमण संक्षेपत: हटाया जा सकेगा ।

(6) जहा अधिक्रमण ऐसी प्रकृति का है कि इसका तुरंत हटाया जाना राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा के हित मे या राजमार्ग का भाग बननेवाली किसी संरचना की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझा गया है वहा राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट कोई प्राधिकृत अधिकारी उपधारा(3) के अधीन किसी व्यक्ति का अभियोजन करने के साथ निम्नलिखित मे से कोई एक कर सकेगा -

(i) ऐसा कोई सरक्षा संकर्म जो युक्तियुक्त कीमत पर साध्य हो करवाया जा सकेगा जिससे कि राजमार्ग पर यातायात के लिए खतरा कम से कम हो जाए या,

(ii) यदि आवश्यक हो, पुलिस की सहायता से, अधिक्रमण को हटवाया जा सकेगा ।

24 **धारा 23 की उपधारा(1) के अधीन तामील की गई सूचना के विरुद्ध अपील** - जब वह व्यक्ति जिसपर धारा 23 की उपधारा(1) के अधीन अधिक्रमण को हटाने की सूचना तामील की गई है यह दावा करता है कि वह भूमि जिसके संबध में अधिक्रमण अभिकथित किया गया है उसकी संपत्ति है या यह कि उसने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर इसके ऊपर अधिकार अर्जित कर लिया है या अन्यथा, वहां वह अधिक्रमण हटाने के लिए सूचना मे विहित समय सीमा के भीतर, यथास्थिति, राजमार्ग प्राधिकारी या धारा 21 की उपधारा(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देकर कलक्टर के समक्ष अपील फाइल करेगा । कलक्टर सम्यक जाच के पश्चात अपने विनिश्चय को अभिलिखित करेगा, और इसे अपीलार्थी तथा राजमार्ग प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी को संसूचित करेगा । राजमार्ग प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी तब तक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

25. **अधिक्रमण हटाने की लागत की वसूली** - (1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकारी या धारा 21 की उपधारा(1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ने, धारा 23 के उपबंधो के अधीन कोई अधिक्रमण हटा लिया है या किसी अधिक्रमण के संबध में कोई सरक्षा सकर्म किया है तब वहां अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अंतर्वलित व्यय को वसूल किया जाएगा ।

(2) उपगत व्यय के ब्यौरे वाला एक बिल, राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति पर या उसके प्रतिनिधि पर, बिल में उल्लिखित प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का संदाय करने के निदेश के साथ तामील किया जाएगा ।

(3)बिल के साथ राजमार्ग प्राधिकारी या उपधारा(1) में निर्दिष्ट प्राधिकृत व्यक्ति से इस आशय का एक प्रमाणपत्र संलग्न होगा कि बिल में उपदर्शित व्यय की राशि उपगत प्रभारों की है और ऐसा प्रमाणपत्र इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि प्रभार वस्तुतः उपगत हुए हैं ।

(4) ऐसी सामग्री, यदि कोई हो, जो किसी अधिक्रमण के हटाने के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई है, अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति द्वारा बिल की राशि का संदाय करने पर, उसे सुपुर्द कर दी जाएगी किन्तु उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में उस सामग्री को नीलाम किया जा सकेगा और आगमों में से बिल की राशि काटने के पश्चात अतिशेष, यदि कोई है, ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा।

(5)यदि नीलाम द्वारा विक्रय के आगमों से बिल की संपूर्ण राशि पूरी नहीं होती है तो सामग्री के विक्रय से वसूल की गई राशि से आधिक्यवाली रकम या यदि विक्रय के लिए कोई सामग्री नहीं है और बिल की राशि अधिक्रमण के लिए दायी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है तो बिल की संपूर्ण राशि ऐसे व्यक्तियों से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी ।

अध्याय 5

प्रतिकर

26.**कतिपय मामलों में निम्नतम नुकसान किया जाना और प्रतिकर** - निम्नलिखित उपबंधो के अधीन शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजमार्ग प्राधिकारी या धारा 6 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या सेवक या सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इतना कम-से-कम नुकसान जितना हो सकता है, किया जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विहित रीति में प्रतिकर उस व्यक्ति को सदत्त किया जाएगा जिसे ऐसी शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप नुकसान होता है, अर्थात :-

(क) धारा 9 के अधीन निर्बंधनों का अधिरोपित करना ;

(ख) धारा 12 के अधीन किसी भवन या उसके भाग को पूर्वतर स्थिति में स्थापित करना;

(ग) धारा 13 के अधीन किसी राजमार्ग के पहुंच के किसी अधिकार का विनियमन या विचलन ;

(घ) धारा 14 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश, सर्वेक्षण, माप या कोई अन्य कार्य करना;

(ङ) धारा 15 के अधीन किसी भूमि का अर्जन या भूमि में कोई अधिकार या हित निर्वापित करना ;

indiacode

(च) धारा 52 के अधीन किसी राजमार्ग या उसके भाग का बंद किया जाना ।

27. करार द्वारा प्रतिकर की रकम का अवधारण -- धारा 26 के अधीन सदेय प्रतिकर की रकम, व्यक्ति जिन्हें यह संदत्त की जाएगी और ऐसी रकम का उसमें हितबद्ध व्यक्तियों में प्रभाजन राजमार्ग प्राधिकरण या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी और उसमें हित का दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियो के बीच करार द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

28. करार के व्यतिक्रम में प्रतिकर की रकम का अवधारण — (1) धारा 27 के अधीन किसी करार के व्यतिक्रम में, राजमार्ग प्राधिकरण या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जाच करने के पश्चात् निम्नलिखित का अवधारण करने के लिए पंचाट देगा—

(क) अर्जित भूमि का सही क्षेत्र, यदि कोई हो,

(ख) धारा 26 के अधीन संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की रकम,

(ग) ऐसे प्रतिकर का उन सब व्यक्तियों में प्रभाजन, यदि कोई हो, जिनके बारे मे हकदार होना ज्ञात है या ऐसा विश्वास किया जाता है ।

(2) प्रतिकर की रकम का अवधारण करते समय, राजमार्ग प्राधिकरण या इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी धारा 23 और 24 में अतर्विष्ट उपबंधों और भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्य सुसगत उपबंधों द्वारा मार्गदर्शित होगा किंतु यह इस उपांतरण के अधीन रहते हुए होगा कि उक्त अधिनियम की धारा 23 और 24 में उसकी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के प्रति निर्देश उस तारीख के प्रति होगे जिसको इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन घोषणा प्रकाशित की गई थी ; और उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा के समय या उसके प्रकाशन की तारीख के प्रति निर्देश इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख के प्रति थे । 1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1

29. यदि किसी अन्य विधि के अधीन समरूप निर्बन्धन प्रवृत्त हों या प्रतिकर पहले ही प्राप्त किया जा चुका हो तो कोई प्रतिकर नहीं — कोई प्रतिकर नही दिया जाएगा --

(i) यदि और वहा तक जहा तक भूमि, उस तारीख को जिसको इस अधिनियम द्वारा निर्बन्धन अधिरोपित किए गए थे प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समरूप निर्बन्धनों के तात्विक रूप में अधीन थी ;

(ii) यदि इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित वैसे ही निर्बन्धनो या किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त तात्विक रूप से समरूप निर्बन्धनों की बाबत प्रतिकर उस भूमि की बाबत दावेदार या दावेदार के किसी हित पूर्ववर्ती को पहले ही संदत्त किया जा चुका है ।

30. निर्माण की अनुज्ञा से इन्कार के लिए प्रतिकर, जब वह इन्कार की गई थी और जब वह अनुदत्त की जाती है, के बीच मूल्य के अंतर से अधिक नहीं होगी — जहा धारा 9 या 10 के अधीन कोई भवन खड़ा करने की अनुज्ञा देने से इन्कार कि गया है, तो प्रतिकर की रकम भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 23 या 24 द्वारा अवधारित किए गए भूमि के मूल्य और वह मूल्य जो यदि अनुज्ञा अनुदत्त की गई होती तो उसका होता, से अधिक नहीं होगा । ऐसे मूल्य का अवधारण करते समय उस भूमि पर भवन खड़ा करने या उसे उसका अन्यथा उपयोग करने, धारण करने या व्ययन करने के किसी व्यक्ति के अधिकार के सबध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किन्हीं निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए है तो उन पर विचार किया जाएगा । 1894 का केन्द्रीय अधिनियम 1

31. पहुंचने के पश्चान्तर के लिए प्रतिकर अनुकल्पी पहुंच की लागत से अधिक नहीं होगा— जहां किसी राजमार्ग तक पहुंच का अधिकार उसके पश्चान्तर या बंद किए जाने के परिणामस्वरूप नष्ट हो जाता है और कोई अनुकल्पी पहुंच दी जाती है, तो प्रतिकर की रकम किसी भी दशा में दावेदार की संपत्ति से ऐसे अनुकल्पी पथ द्वारा पहुंच के नए मार्ग बनाने की लागत से अधिक नहीं होगा ।

32. (1) खड़ी फसलों, वृक्षों आदि को काटने के लिए प्रतिकर — (1) प्रवेश, सर्वेक्षण या माप अथवा धारा 14 के अधीन कोई अन्य बात करते समय, अधिकारी किसी हकदार व्यक्ति को ऐसे प्रवेश, सर्वेक्षण, मापने या कार्य के निष्पादन, इसमें भूमि पर खड़ी फसलों और वृक्षों का काटना या अस्थायी संरचनाओं, यदि कोई हों का हटाया जाना भी है, के परिणामस्वरूप हुए सभी आवश्यक नुकसान के लिए प्रतिकर संदत्त करेगा या निविदत्त करेगा । यदि इस प्रकार संदत्त या निविदत्त रकम की पर्याप्तता के संबंध में विवाद हो तो संबंधित अधिकारी विवाद को तुरंत राजमार्ग प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगा और उक्त प्राधिकरण यावत् साध्य कम से कम विलंब से विवाद का विनिश्चय करेगा और हकदार व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में अवधारित रकम का संदाय करेगा । राजमार्ग प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) यदि धारा 19 के अधीन भूमि का कब्जा लेते समय भूमि पर कोई खड़ी फसल, वृक्ष या अस्थायी संरचनाए हैं तो राजमार्ग प्राधिकरण हकदार व्यक्ति को ऐसी खड़ी फसलों, वृक्षों या अस्थायी संरचनाओं के प्रतिकर की रकम संदत्त करेगा या निविदत्त करेगा । यदि ऐसी रकमों की पर्याप्तता के संबंध में विवाद हो तो धारा 28 के अधीन भूमि के प्रतिकर की रकम अवधारित करते समय ऐसी फसलों, वृक्षों और अस्थायी संरचनाओं के मूल्य पर विचार किया जाएगा ।

33 अप्राधिकृत परिनिर्माणों के लिए कोई प्रतिकर नहीं— यदि किसी व्यक्ति ने किसी भूमि पर जो राजमार्ग के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई है, किसी भवन का परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण या वर्धन अथवा उपांतरण अप्राधिकृत रूप से किया है तो ऐसे परिनिर्माण, पुनः परिनिर्माण, वर्धन या उपांतरण से भूमि के मूल्य मे किसी वृद्धि को भूमि के मूल्य का प्राक्कलन करते समय गिनती में नहीं लिया जाएगा ।

34 अतिक्रमण के हटाए जाने के लिए कोई प्रतिकर नहीं — किसी अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए कोई प्रतिकर सदेय नहीं होगा ।

35 धारा 28 के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी के पंचाट के विरुद्ध निर्देश — (1) धारा 28 के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी के पंचाट से व्यथित कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अधिकारी को लिखित आवेदन करके अपेक्षा कर सकता है कि मामले को उस सिविल न्यायाधीश को निर्दिष्ट किया जाए जिसकी अधिकारिता की सीमा मे उक्त भूमि स्थित है ।

(2) ऐसा कोई आवेदन पंचाट की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा और ऐसे प्ररूप मे होगा जो विहित किया जाए ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, 12 और 14 के उपबंध उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने के लिए नियत किए जाने वाले समय की संगणना को लागू होंगे । 1963 का केंद्रीय अधिनियम 36

(4) राजमार्ग प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी रीति से निर्देश करेंगे जैसा विहित किया जाए ।

36. धारा 35 और 44 के अधीन निर्देशों का विनिश्चय करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों की शक्तियां और प्रक्रिया — (1) धारा 35 और धारा 44 के अधीन निर्देश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 141 के अर्थान्तर्गत कार्यवाहिया समझी जाएगी 1908 का केंद्रीय अधिनियम 5

और उनके विचारण के समय ऐसे निर्देशों का विनिश्चय करने के लिए सशक्त प्राधिकारी उक्त संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे ।

(2) धारा 35 या 44 के अधीन निर्देश में जांच की परिधि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपधारा (1) में वर्णित प्राधिकारियों को निर्दिष्ट मामलों के विचारण तक निर्बन्धित होगी ।

37. पूलिस अधीक्षक किसी अतिक्रमण का अभ्यर्पण कराएगा या उसे हटाएगा — यदि राजमार्ग प्राधिकरण या किसी अधिकारी या सेवक के किसी भूमि का कब्जा लेने या किसी कार्य के निष्पादन में या किसी अतिक्रमण के हटाने का विरोध किया जाता है या उसमें अड़चन डाली जाती है तो संबंधित राजमार्ग प्राधिकरण या अधिकारी या सेवक, पुलिस अधीक्षक या ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसे सरकार इस निमित्त सशक्त करे, आवेदन करेगा और वह अधीक्षक या इस प्रकार सशक्त किया गया अधिकारी, यथास्थिति, अभ्यर्पण कराएगा या हटाएगा या निष्पादन कराएगा ।

38. धारा 35 और 44 के अधीन प्राधिकारियों के विनिश्चय सिविल न्यायालय की डिक्रियों के रूप में प्रवृत्त किए जाएंगे — धारा 35 और धारा 44 के अधीन निर्देशों का विनिश्चय करने के लिए सशक्त प्राधिकारियों के विनिश्चय सिविल न्यायालय की डिक्रियों के रूप में प्रवर्तनीय होंगे ।

39. अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय — (1) धारा 27 के अधीन करार द्वारा प्रतिकर के अवधारण पर, या

(2) धारा 28 के अधीन पंचाट दिए जाने पर, या

(3) यदि ऐसे पंचाट के विरुद्ध धारा 35 के अधीन निर्देश किया जाता है तो उक्त धारा के अधीन प्राधिकरण के विनिश्चय के पश्चात्,

राजमार्ग प्राधिकरण उसके लिए हकदार व्यक्ति को अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय, यथास्थिति, करार, उसके पंचाट या धारा 35 के अधीन निर्देशो का विनिश्चय करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार करेगा । भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 31 से 34 (दोनो सम्मिलित है) के उपबंध ऐसे संदाय को यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे । 1894 का 1 अधिनियम

40. संदाय का समायोजन — किसी व्यक्ति को राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के रूप मे देय सभी संदाय जहा तक संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति के लेखे में अध्याय 6 के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य सुधार प्रभारों, यदि कोई हों, के संबंध में उस व्यक्ति के लेखे मे समायोजन द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय 6

सुधार प्रभारों का उद्ग्रहण

41. स्वामियों और हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना — जहा कोई ऐसा कार्य जो राजमार्ग प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन जिम्मा लेने के लिए सशक्त है, यहा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे कार्य से फायदा प्राप्त भूमि के ज्ञात या विश्वास किए गए स्वामियों या हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना यह अपेक्षा करते हुए देगा कि वे उसमें वर्णित समय (यह समय सूचना की तारीख से कम-से-कम तीस दिन पश्चात्) के भीतर ऐसे समय और स्थान पर या तो वैयक्तिक रूप से या किसी अभिकर्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर हो और उक्त भूमियो पर सुधार प्रभारों के अधिरोपण और वसूली के प्रति अपने आक्षेप प्रस्तुत करे :

परंतु यह कि ऐसी कोई सूचना तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि कलक्टर ने सरकार की पूर्ण मंजूरी से यह घोषित न किया हो कि ऐसी भूमियों का मूल्य ऐसे कार्य के सन्निर्माण के कारण बढ़ जाने की संभावना है या बढ़ गया है ।

42. जांच और आदेश — धारा 41 के अधीन नियत तारीख को या किसी अन्य तारीख को जिसके लिए जांच धारा 41 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थगित की गई हो, एक औपचारिक जांच करने के पश्चात् और धारा 41 के अधीन सूचना द्वारा यथा अपेक्षित व्यक्तियों द्वारा कथित आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के पश्चात् आदेश करेगा। आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा--

(क) कार्य के सन्निर्माण द्वारा फायदा प्राप्त भूमि ;

(ख) प्रस्तावित सन्निर्माण द्वारा उक्त भूमि के मूल्य में वृद्धि ;

(ग) प्रत्येक उक्त भूमियों पर उद्ग्रहणीय सुधार प्रभारों की रकम ;

(घ) तारीख जिससे सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय होंगे :

परंतु यह कि निम्नलिखित किसी भूमि की बाबत कोई सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय नहीं होंगे—

(क) जो निर्माण स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए अनुपयुक्त है ;

या

(ख) जो राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर दो सौ मीटर की दूरी से परे स्थित हैं ।

43. मूल्य में वृद्धि और सुधार प्रभार— ऐसे कार्य के सन्निर्माण के कारण मूल्य में वृद्धि वह रकम होगी जितनी प्रस्तावित कार्य के पूर्ण होने की तारीख को भूमि के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है या उक्त कार्य के प्रारंभ की तारीख को भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है और सुधार प्रभार ऐसे अधिक मूल्य के आधे होंगे ।

स्पष्टीकरण-- सरकार, राजपत्रित अधिसूचना द्वारा इस धारा के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगी —

(क) किसी कार्य के सन्निर्माण के प्रारंभ की तारीख ;

(ख) ऐसे कार्य के पूर्ण होने की तारीख ।

44. धारा 42 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के विरुद्ध निर्देश— (1) सुधार प्रभारों को नियत करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, धारा 41 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी से लिखित आवेदन द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि मामले को सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग) को निर्दिष्ट किया जाए ।

(2) ऐसा कोई आवेदन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश के ऐसे व्यक्ति को संसूचित किए जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, 12 और 14 के उपबंध उपधारा (2) के अधीन निर्देश के लिए नियत समय की संगणना को लागू होंगे । 1963 का 36

(4) धारा 41 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी रीति से निदेश करेगा जैसा विहित किया जाए ।

45. सुधार प्रभार नियत करने वाले आदेश और निर्देश पर विनिश्चय का अंतिम होना-- धारा 42 के अधीन सुधार प्रभारों को नियत करने वाला आदेश धारा 44 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश और ऐसे निर्देश पर उक्त प्राधिकारी के विनिश्चय के अधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

46. सुधार प्रभार भूमि पर भू-राजस्व के पश्चात् प्रथम प्रभार होंगे – सुधार प्रभार नियत करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट उस तारीख से जिससे ऐसे प्रभार उद्ग्रहणीय होंगे या उस तारीख से जो प्राधिकारी द्वारा धारा 44 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट की गई हो, किसी भूमि की बाबत वसूलनीय सुधार प्रभार, उस भूमि पर भू-राजस्व, यदि कोई हो, के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए उस भूमि पर प्रथम प्रभार होंगे जिसकी बाबत ऐसे सुधार प्रभार उद्ग्रहणीय हैं ।

47. सुधार प्रभारों का संदाय – सुधार प्रभार धारा 72 के अधीन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन नियत की गई तारीख से संदेय होंगे :

परंतु उस भूमि का स्वामी जिस पर ऐसे प्रभार अधिरोपित किए गए हैं, सरकार के पक्ष में करार निस्पादित कर सकेगा जिसमें ऐसे प्रभारों की रकम को, ऐसी दर और ऐसी अवधि के भीतर जो विनिर्दिष्ट की जाए, ब्याज सहित वार्षिक किस्तों में संदाय करने का करार कर सकेगा ।

48. सुधार प्रभारों के संदाय के बदले में किसी विनिमय या भूमि का त्यजन – धारा 47 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, सरकार उस भूमि के स्वामी को जिस पर सुधार प्रभार संदेय हों, सरकार के पक्ष में ऐसी शर्तों पर जो विहित की जाएं, संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का त्याग करने या प्रभारों के संदाय के बदले में विनिमय में उसका परिदान करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी :

परतु ऐसा कोई त्यजन या विनिमय तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि भूमि विलंगमों से मुक्त न हो ।

अध्याय 7

राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा को सुनिश्चित और खतरे के निवारण के लिए अनुपूरक उपबंध

49. किसी राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्ति के अवलोकन आदि में बाधा से उद्भूत होने वाले खतरे का निवारण– (1) जब कभी राजमार्ग प्राधिकरण की यह राय है कि किसी राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के अवलोकन में बाधा या ऐसे व्यक्तियो के ध्यान भंग से विशेषतया राजमार्ग के किसी मोड़ या कोने पर बाधा से उद्भूत होने वाले खतरे के निवारण के लिए यह आवश्यक है, धारा 11 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे राजमार्ग के साथ या उसके मोड़ या कोने पर की भूमि के स्वामी या अधिभोगी पर सूचना की तामील करेगा कि ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विद्यमान दीवार (किसी स्थायी संरचना की भागरूप दीवार से भिन्न), बाड़, झाड़ी, वृक्ष, विज्ञापन खंभे, बिल बोर्ड, या उस पर किसी अन्य वस्तु की ऊंचाई या लक्षणों को इस प्रकार प्रवर्तित करे कि वह सूचना मे विनिर्दिष्ट किन्हीं अपेक्षाओं के अनुरूप हो जाए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई हो ऐसी सूचना की किसी अपेक्षा का पालन करने में आपत्ति करता है तो वह उसकी प्राप्ति के एक मास के भीतर, राजमार्ग प्राधिकरण को उसके लिए आधारों का कथन करते हुए लिखित में अपना आक्षेप भेजेगा ।

(3) राजमार्ग प्राधिकरण, आक्षेप की प्राप्ति के एक मास के भीतर, दिए गए आधारो पर विचार करेगा और लिखित में आदेश द्वारा या तो सूचना वापस ले लेगा या उसमें सशोधन करेगा या उसकी पुष्टि करेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से व्यथित है तो वह उस तारीख से 15 दिन के भीतर जिसको वह आदेश उसे संसूचित किया गया था, उस कलक्टर को अपील करेगा जिसका विनिश्चय उस मामले में अंतिम होगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, संशोधित या पुष्ट की गई और उपधारा (1) के अधीन उस पर तामील की गई सूचना का पालन करने में असफल रहता है तो राजमार्ग प्राधिकरण अवलोकन में बाधा डालने वाली या ध्यान भंग करने वाली वस्तु के परिवर्तन के लिए अपने व्यय पर कार्यवाही करेगा और ऐसा व्यय उस व्यक्ति से धारा 25 के उपबंधों के अनुसार वसूल करेगा । किंतु यह उसके विरुद्ध लिए जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

50. राजमार्ग प्राधिकरण यातायात को तब विनियमित करेगा जब राजमार्ग असुरक्षित घोषित किया जाए – यदि किसी समय राजमार्ग प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि उसके प्रभार में का कोई राजमार्ग या उसका कोई भाग किसी नुकसान के कारण या अन्यथा यान या पैदल यातायात के लिए असुरक्षित है या हो गया है तो वह उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त विहित की जाएं, या तो उस राजमार्ग या उसके भाग को सभी यातायात या यातायात के किसी प्रवर्ग के लिए बंद कर देगा अथवा राजमार्ग का प्रयोग करने वाले यानों की संख्या और गति या भार को विनियमित करेगा ।

51. कतिपय राजमार्गों पर भारी यानों के उपयोग का निषेध– जहां राजमार्ग प्राधिकरण का यह समाधान हो जाए कि कोई राजमार्ग या उसका भाग अथवा किसी राजमार्ग पर या उसके आरपार निर्मित किसी पुल, कलवर्ट या कॉजवे ऐसे यानों को ले जाने के लिए अभिकल्पित नहीं है जिनका लदान सहित वजन उस सीमा से अधिक है जो राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त नियत किया गया हो, तो वह उन शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, ऐसे यानों का ऐसे राजमार्ग या राजमार्ग के भाग या ऐसे पुल, कलवर्ट या कॉजवे पर चलाए जाने को निषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगा ।

52. राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किसी राजमार्ग को स्थायी रूप से बंद करने की वांछा करने पर राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया– (1) जहां धारा 50 द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजमार्ग प्राधिकरण किसी राजमार्ग या उसके भाग को स्थायी रूप से बंद करने की वांछा करे तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना राजपत्र में देगा । अधिसूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी जिनमें से एक उस स्थान की बोली जाने वाली भाषा में होगा जिसमें राजमार्ग स्थित है ।

(2) सूचना में वह अनुकल्पी पथ, यदि कोई हो, उपदर्शित होगा जिसका उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है या जो पहले से विद्यमान है और प्रस्ताव के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, भी आमंत्रित किए जाएंगे जो उतने समय के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे जो विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) राजमार्ग प्राधिकरण, विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् किसी राजमार्ग या उसके भाग को बंद करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगा और उस अंतिम प्रस्ताव को ऐसे आक्षेपों सहित जो प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त हुए हों सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजेगा ।

(4) सरकार प्रस्ताव का अनुमोदन उपांतरणों सहित या उनके बिना करेगी या उसे रद्द कर देगी ।

(5) सरकार प्रस्ताव का अनुमोदन करने के पश्चात् अपना आदेश राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

(6) जब सरकार के आदेश राजपत्र में प्रकाशित किए गए हों, राजमार्ग प्राधिकरण कम से कम दो समाचार पत्रों में उसके अतिरिक्त विज्ञापन की व्यवस्था करेगा जिनमें से एक उस स्थान की बोली जाने वाली भाषा में होगा जिसमें राजमार्ग स्थित है और तब राजमार्ग या उसका भाग बंद कर दिया जाएगा ।

(7) जब कभी किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग को इस प्रकार बन्द कर दिया गया है तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो जनता के मात्र सदस्य से भिन्न व्यक्ति के रूप में अपनी सम्पत्ति तक या उससे पहुंच मार्ग के रूप में ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग का उपयोग करने का हकदार था और ऐसे बन्द किए जाने के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा है, युक्तियुक्त प्रतिकर का संदाय किया जाएगा ।

राजमार्ग पर कतिपय संकर्म करने के लिए अपेक्षित राजमार्ग प्राधिकारी की सहमति ।

53. (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी किन्तु धारा 73 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजमार्ग प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति, किसी राजमार्ग पर होकर, उसके आर-पार, उसके नीचे या उसके ऊपर किसी प्रकार के किसी केबल, तार, पाईप, नाली, सीवर या चैनल का, राजमार्ग प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सन्निर्माण नहीं करेगा या नहीं बनाएगा ।

(2) अपनी सहमति देते समय राजमार्ग प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे और प्रस्तावित संकर्म के अधिभोगाधीन या उसके लिए उपयोजित किसी ऐसी भूमि के लिए, जो राजमार्ग का भाग है, कोई किराया या अन्य प्रभार अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उल्लंघन में कोई सन्निर्माण या कोई संकर्म करता है तो राजमार्ग प्राधिकारी ऐसे संकर्म को हटाने के लिए और राजमार्ग के उसके पूर्ववर्ती हाल में प्रत्यावर्तन के लिए धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार व्यवस्था कर सकेगा मानो उक्त संकर्म राजमार्ग पर एक अधिक्रमण है और ऐसे व्ययों को, जो राजमार्ग प्राधिकारी ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत करे, किसी ऐसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी, धारा 25 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार, जहां तक ऐसी प्रक्रिया लागू हो, उससे वसूल किए जाएंगे ।

राजमार्गों को क्षति-ग्रस्त होने से रोकना और उनका सुधार ।

54. (1) कोई भी व्यक्ति, जानबूझकर राजमार्ग को कोई नुकसान कारित नहीं करेगा या अपने प्रभार में के किसी यान या पशु को कोई नुकसान कारित नहीं करने देगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के उल्लंघन में किसी राजमार्ग को कोई नुकसान कारित किया गया है वहां राजमार्ग प्राधिकारी उस नुकसान की मरम्मत कराएगा और उसमें अन्तर्वलित व्ययों को, ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उपधारा (1) के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकेगी, उससे धारा 25 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार, जहां तक वह प्रक्रिया लागू हो, वसूल किए जाएंगे ।

राजमार्गों पर प्रदान की गई सेवाओं या फायदों आदि के लिए फीस उद्गृहीत करने की सरकार की शक्ति ।

"54क. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों और गांव सड़कों पर सन्निर्मित ऐसे स्थाई पुलों के उपयोग की बाबत, जिनकी लागत 25 लाख रुपए से अधिक है और जो 1 जनवरी, 1986 को या उसके पश्चात् जनता के लिए खोल दिए गए हैं, प्रदान की गई सेवाओं या फायदों के लिए, ऐसी दरों पर फीस उद्गृहीत कर सकेगी जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं :

परन्तु यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है तो वह उसी अधिसूचना द्वारा, ऐसे पुल को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके उपयोग की बाबत इस धारा के अधीन कोई फीस उद्गृहणीय नहीं होगी ।

(2) ऐसी फीस जब इस प्रकार उद्गृहीत की गई है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संगृहीत की जाएगी ।"

सड़कों आदि के उपयोग के लिए फीस उद्गृहीत करने की सरकार की शक्ति ।

54ख. (1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों और गांव सड़कों या उनके किसी भाग के उपयोग के लिए, जो 1 जनवरी, 1988 को या उसके पश्चात् जनता के लिए खोल दिए गए हैं, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की गई दरों से फीस उद्गृहीत कर सकेगी :

परन्तु यदि सरकार की यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है तो वह उसी अधिसूचना द्वारा, किसी राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क या गांव सड़क या उनके किसी भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके उपयोग की बाबत इस धारा के अधीन कोई फीस उद्गृहणीय नहीं होगी ।

(2) ऐसी फीस जब इस प्रकार उद्गृहीत की गई है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संगृहीत की जाएगी ।"

अध्याय 8

शास्तियां

आदेशो, अनुदेशो की अवज्ञा और जानकारी आदि देने से इकार ।

55. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन निदेश देने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिसम्मत रूप से दिए गए किसी निदेश की अवज्ञा करेगा या किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के किन्हीं ऐसे कार्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा जिनका ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्वहन किया जाना अपेक्षित है या निर्वहन करने के लिए वह सशक्त है अथवा इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से कोई जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, ऐसी जानकारी विधारित करेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसके बारे में उसे यह ज्ञान है कि वह मिथ्या है अथवा उसके सत्य होने के बारे में उसको विश्वास नहीं है, दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

किसी पहुंच मार्ग या किसी भवन आदि के परिनिर्माण के सबध मे निर्बंधनो का उल्लघन ।

56. जो कोई किसी राजमार्ग पर किसी भवन का परिनिर्माण, उसमे परिवर्तन या उसका विस्तार करेगा अथवा उसका उत्खन्न करेगा या किसी पहुच मार्ग का सन्निर्माण करेगा अथवा धारा 9 के उपबंधो के उल्लधन में कोई अन्य संकर्म करेगा जो वह दोषसिद्धि पर,—

(क) जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा, और

(ख) ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे उल्लंघन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए सौ रूपए तक का हो सकेगा जिसके दौरान अपराधयुक्त सरचना या संकर्म, हटाया, ध्वस्त या साफ नहीं किया जाता है और उक्त स्थल उसकी मूल हालत मे प्रत्यावर्तित नहीं किया जाता है,

दण्डित किया जाएगा ।

राजमार्ग का अप्राधिकृत अधिभोग ।

57. जो कोई—

(क) किसी राजमार्ग पर धारा 21 के उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन मे अधिभोग करता है या कोई अधिक्रमण करता है, या

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन उस पर तामील की गई सूचना

2090/ca/as-4

का अनुपालन करने में किसी विधिमान्य कारण के बिना असफल रहता है—

तो वह दोषसिद्धि पर —

(क) पहले अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा,

(ख) उस अधिक्रमण के संबंध में पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा और इसके साथ अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए पचास रूपए से अधिक का नहीं होगा जिसको राजमार्ग पर ऐसा अधिभोग या अधिक्रमण जारी रहता है,

दण्डित किया जाएगा ।

राजमार्गों को नुकसान कारित करना ।

58. जो कोई, धारा 54 की उपधारा (1) के उल्लंघन में, जानबूझकर किसी राजमार्ग को कोई नुकसान कारित करता है या अपने प्रभार के अधीन किसी यान या पशु को नुकसान कारित करने देता है तो वह दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध ।

59. जो कोई, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा किए गए किसी आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो, यदि इस अधिनियम के अधीन उक्त अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है,—

(क) पहले अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास रूपए तक का हो सकेगा,

(ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो दो सौ रूपए तक का हो सकेगा,

दण्डित किया जाएगा ।

अपराधों का शमन करने की शक्ति ।

60. इस अधिनियम के अधीन कारित किसी अपराध का राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा, और यदि कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी दंड न्यायालय में संस्थित की गई है, तब उसमें किए गए समझौते के निबंधनों पर शमन किया जा सकेगा, उक्त शमन दोषमुक्ति की कोटि में आएगा और किसी भी दशा में ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्ति की किसी सम्पत्ति के विरूद्ध उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

सरकार की पुनरीक्षण की शक्तियां ।

61. सरकार, किसी समय, इस अधिनियम के अधीन राजमार्ग प्राधिकारी या राजमार्ग प्राधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई से संबंधित अभिलेख, ऐसे आदेश या कार्रवाई की विधिमान्यता या शुद्धता के बारे में, इस बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिए, मंगा सकेगी या उनकी परीक्षा कर सकेगी और उनके अधिमान में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे ;

परन्तु कोई भी आदेश तब तक उपान्तरित, अकृत नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील नहीं कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य ।

62. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, अपनी जानकारी में आए ऐसे किसी अपराध की सूचना, जो इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के विरूद्ध कारित किया गया है, तत्काल निकटतम राजमार्ग प्राधिकारी या राजमार्ग प्राधिकारी

के किसी अधीनस्थ निकटतम अधिकारी को देगा और वह राजमार्ग प्राधिकारी या उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा ।

गांव पदाधिकारियों के कर्तव्य ।

63. प्रत्येक गांव का मुखिया, गांव लेखापाल, गांव चौकीदार या अन्य गांव पदाधिकारी, चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाता हो, तत्काल निकटतम पुलिस थाने या निकटतम राजमार्ग प्राधिकारी को, जब भी उसे इस बारे में जानकारी हो कि किसी राजमार्ग के किसी सर्वेक्षण चिन्ह या किसी सीमा चिन्ह या किसी राजमार्ग के संबंध में अवधारित भवन या नियंत्रण पंक्ति को दर्शित करने वाले किसी चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है, हटा दिया गया है, उखाड़ दिया गया है या अन्यथा नष्ट कर दिया गया है अथवा किसी राजमार्ग को कोई नुकसान पहुंचाया गया है या किसी राजमार्ग पर अधिक्रमण किया गया है, सूचना देगा ।

सड़क प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए राजमार्ग का उपयोग करने की शक्ति ।

64. राजमार्ग प्राधिकारी ऐसी किसी भूमि का, जो राजमार्ग का भाग है, सड़क प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अस्थाई रूप से उपयोग कर सकेगा जिसकी यातायात के आने जाने के लिए तत्काल आवश्यकता है और ऐसी भूमि के उत्पाद का व्ययन कर सकेगा ।

संक्षिप्त बेदखली ।

65. ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने ऐसी भूमि पर विधिविरूद्ध अधिभोग कर लिया है,—

(क) जो राजमार्ग का भाग है, और

(ख) जिसके अधिभोग से इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन होता है और उक्त उपबंधों में ऐसे व्यक्ति की बेदखली के लिए कोई उपबंध नहीं है,

कलैक्टर द्वारा संक्षिप्त रूप से बेदखल कर दिया जाएगा और ऐसी बेदखली निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(i) काबिज व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना की यह तामिल करते हुए कि उनसे ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जो युक्तियुक्त प्रतीत हो, उक्त भूमि को खाली करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ii) यदि ऐसी सूचना का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि को खाली करने से इन्कार कर सकेगा, हटाकर या किसी अधीनस्थ को उस व्यक्ति को हटाने के लिए प्रतिनियुक्त करेगा ; और

(iii) यदि ऐसे किसी व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का किसी व्यक्ति द्वारा विरोध किया जाता है या उसके समक्ष बाधा डाली जाती है तो कलैक्टर मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा.और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विरोध या बाधा अब भी जारी है तो ऐसी किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसके लिए तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जा सकेगा,ऐसे विरोध या बाधा के दंड के लिए उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा और उसके उपसंजात होने पर वारंट के साथ उसे उस जिले के सिविल कारागार में ऐसी अवधि के कारावास के लिए, जो तीस दिन से अधिक की नहीं होगी, भेज सकेगा जो ऐसे विरोध के जारी रहने को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

IndiaCode

संक्षिप्त रूप से की जाने वाली जांचे ।

66. (1) राजमार्ग प्राधिकारी या इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जांच करना चाहता है तो, गोवा, दमन और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 के अधीन संक्षिप्त जांच करने के लिए उपबंधित रीति से जांच करेगा और संक्षिप्त जांच किए जाने की बाबत उक्त संहिता के सभी उपबंध, यथा संभव, लागू होंगे ।

1969 का 9

(2) राजमार्ग प्राधिकारी और सरकार या राजमार्ग प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को, किसी व्यक्ति को सम्मन करने और उसको हाजिर कराने और उसकी शपथ पर परीक्षा करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के लिए वही शक्तियां होंगी जो गोवा, दमन और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968 के अधीन राजस्व अधिकारियों में निहित हैं ।

1969 का 9

धारा 8 के अधीन तैयार किए गए नकशे का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नहीं है ।

67. (1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह धारा 8 के अधीन तैयार किए गए नकशे के रजिस्ट्रीकरण को आवश्यक बनाती है ।

1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 16

(2) ऐसे सभी नकशों के बारे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 और धारा 50 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और रजिस्ट्रीकृत किए जाने हैं :

1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 16

परन्तु इन नकशों तक विहित रीति से जनता की पहुंच होगी ।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक होना ।

68. राजमार्ग प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत या नियुक्त अधिकारियो और अन्य व्यक्तियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं ।

1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45

अधिकारिता का वर्जन ।

69. किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी प्रश्न को तय करने, विनिश्चित करने या उस पर विचार करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा राजमार्ग प्राधिकारी, कलैक्टर या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति, धारा 35 या धारा 44 के अधीन किसी प्राधिकारी या सरकार द्वारा तय किया जाना, विनिश्चित किया जाना या विचार किया जाना अपेक्षित है ।

सद्भाव में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण और वाद या अभियोजन की परिसीमा ।

70. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किंही नियमों या किए गए आदेशो के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी लोक सेवक, अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी लोक सेवक या अधिकारी अथवा व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा वाद या अभियोजन परिवाद किए गए कार्य की तारीख से छह मास के भीतर संस्थित नहीं कर दिया गया है ।

सूचना और बिलों की तामील ।

71. (1) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक सूचना या तैयार किया गया प्रत्येक बिल,—

(क) ऐसे व्यक्ति को जिसको वह संबोधित किया जाता है, अथवा उसके अभिकर्त्ता को परिदत्त करके या निविदत्त करके या डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति या उसका अभिकर्त्ता नहीं मिलता है तब उसके

सामान्य निवासस्थान या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान पर छोड़कर अथवा उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को परिदत्त करके, निविदत्त करके या ऐसे भवन या भूमि, यदि कोई है, जो उसका है, के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकवाकर,

तामील की जा सकेगी या प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन सूचना की, किसी भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी पर तामील की जानी अपेक्षित है वहां स्वामी या अधिभोगी को नामित करना आवश्यक नहीं होगा और उसकी तामील--

(क) स्वामी या अधिभोगी अथवा जहां एक से अधिक स्वामी या अधिभोगी हो, वहां उनमें से किसी को परिदत्त करके या निविदत्त करके अथवा डाक द्वारा भेजकर, या

(ख) यदि ऐसा कोई स्वामी या अधिभोगी नहीं मिलता है तब उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर को सूचना देकर या निविदत्त करके अथवा ऐसे भवन या भूमि के किसी सहजदृश्य स्थान पर जो उसका है, सूचना चिपकवाकर,

की जा सकेगी ।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति, जिसको सूचना या बिल की तामील की जानी है, अवयस्क है तब उसके संरक्षक या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य या नौकर पर तामील उक्त अवयस्क पर तामील मानी जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

72. (1) सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्वगामी प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकेगी :--

(क) वह रीति जिसमें धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन गांव में और ताल्लुक, तहसील, महाल मुख्यालयों पर अधिसूचना प्रकाशित की जा सकेगी ;

(ख) अन्य स्थान जिन पर धारा 8 के अधीन नक्शे की प्रतियां निरीक्षण के लिए खुली रखी जा सकेंगी ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसकी अंतर्वस्तु ;

(घ) धारा 15 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित करने की अन्य रीति ;

(ङ) वे शर्तें जिन पर तथा किराए या प्रभार की वह रकम जिसके संदाय पर राजमार्ग पर अधिक्रमण किया जा सकेगा ;

IndiaCode

(घ) वह रीति जिसमे धारा 35 या धारा 44 के अधीन निर्देश किया जाएगा ;

(छ) वह तारीख नियत करना जिसको धारा 47 के अधीन सुधार प्रभार और ब्याज की दर के साथ किस्तों का संदाय किया जाएगा और वह अवधि जिसके भीतर ऐसी किस्तों का उक्त धारा के परन्तुक के अधीन संदाय किया जाएगा ;

(ज) वे शर्तें जिन पर धारा 48 के अधीन कोई भी भूमि सरकार के पक्ष मे परित्यक्त की जा सकेगी अथवा बदले में प्रदान की जा सकेगी ;

(झ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग को यातायात या यातायात के किसी वर्ग अथवा किसी संख्या तक के लिए बंद किया जा सकेगा अथवा उक्त राजमार्ग का उपयोग करने के लिए यानों की गति अथवा भार को धारा 50 के अधीन विनियमित किया जा सकेगा ;

(ञ) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए यानो के चलाने को धारा 51 के अधीन प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा ;

(ट) राजमार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियो की दृष्टि मे बाधा डालने या उनका ध्यान भग होने से उत्पन्न होने वाले खतरे को रोकना और जनता के लिए क्षोभ, खतरे या क्षति को रोकना ;

(ठ) राजमार्ग पर या उसके आस-पास बाधा, अधिक्रमण तथा न्यूसेस और राजमार्गों की क्षति का निवारण करना ;

(ड) राजमार्ग की सीमाओं और भवनो तथा नियंत्रण रेखाओं को निश्चित करने वाले सीमा-चिन्हो का उचित अनुरक्षण ;

(ढ) दिए जाने वाले आवेदनो के प्ररूपों का विवरण और उन व्यक्तियो पर तामील किए जाने वाली सूचनाओं और बिलों के प्ररूप, नक्शो की प्रतिया प्रदान करने के लिए किए जाने वाले प्रभार और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित या उद्गृहीत किए जाने वाले किराए या अन्य प्रभार ;

(ण) इस अधिनियम के अधीन कृत्यो का निर्वहन करने के लिए राजमार्ग पाधिकारी के सामान्य मार्गदर्शन ;

(त) विद्यमान पहुंच मार्गो का विनियमन या उनका परिवर्तन ;

(थ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए ;

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, गोवा, दमन और दीव की विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रो में पूरी हो सकेगी । यदि एक सत्र के या आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम मे कोई परिवर्तन करने के लिए

सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

व्यावृति ।

73. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम में की कोई बात,—

(क) किसी सीवर, नाले, पानी की नाली या अन्य संकर्म बिछाने, बनाने, परिवर्तित करने, उसकी मरम्मत करने या नवीकृत करने के प्रयोजन के लिए कोई उत्खनन करने के किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारों ; या

(ख) गैस या जल, विद्युत, रेलवे, ट्रामवे या ट्राली यानों के लिए कोई सहारा सन्निर्मित करने या मुख्य पाईप, जलनाली, बंद्यधारा, विद्युत लाईन, नलिका, नाली और अन्य संयंत्र बिछाने, बनाने, परिवर्तित करने, उनकी मरम्मत करने या नवीकृत करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी के अधिकारों ; या

1910 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 9

(ग) रेल प्रशासन या किसी ऐसे व्यक्ति की या उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली किसी भूमि को, जिसके पास भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति या मंजूरी है, जब ऐसी भूमि, यथास्थिति, रेलवे प्रशासन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रेल या विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के लिए, जहां तक वे सहमति प्रदान करें, धारित है या उसका उपयोग किया जाता है ; या

(घ) छावनी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या किसी ऐसे पत्तन को, जिसे संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन मुख्य पत्तन के रूप में घोषित किया जाए ; या

(ङ) केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की किसी भूमि को,

प्रभावित नहीं करेगी ।

परन्तु—

(i) किसी सड़क तक या उससे पहुंच मार्गों के सन्निर्माण, निर्माण या बिछाने के बारे में धारा 9 के अधीन पूर्ववर्ती कोई निर्बन्धन, पूर्वोक्त किसी सहमति के बिना, खंड (ग) में विनिर्दिष्ट ऐसी किसी भूमि तक, इस प्रकार विनिर्दिष्ट भूमि से भिन्न भूमि के ऊपर या उसके नीचे, उस तक या उससे पहुंच मार्गों से संबंधित निर्बंधन विनिर्दिष्ट किया गया है, विस्तारित नहीं होंगे ; और

(ii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई सहमति अयुक्तियुक्त रूप से विधारित नहीं की जाएगी और इस बारे में कोई प्रश्न कि इस प्रकार अपेक्षित सहमति युक्तियुक्त रूप से विधारित की गई है अथवा नहीं, सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा जिसका उस प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

1885 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 13

(2) इस अधिनियम में की कोई बात भारतीय तार अधिनियम, 1887 के उपबंधों के अधीन तार प्राधिकारी की किन्हीं शक्तियों या कर्त्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगी ।

इस अधिनियम या नियमों के उपबंध अन्य विधियों में असंगत उपबंधों पर अभिभावी होंगे ।

74. धारा 73 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के, ऐसे किसी विषय के संबंध मे जिन पर यहां विचार किया गया है, उपबंध गोवा, दमन और दीव विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि या ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अभिभावी होंगे जिसे बनाने अथवा जहां तक ऐसी विधि उक्त उपबंधों या नियमों के असंगत है, उसका संशोधन करने के लिए उक्त विधान मंडल सक्षम है और ऐसी असंगतता की सीमा तक ऐसी विधि का ऐसे किसी विषय की बाबत, लागू होना बंद हो जाएगा या लागू नहीं होगा ।

राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे भवन और नियंत्रण रेखाएं तथा सुधार प्रभारों का अधिरोपण ।

75. संदेह को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम की कोई बात ऐसे राजमार्ग को लागू नहीं होगी जिसे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाता है या घोषित किया गया है :

1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 48

परन्तु यदि किसी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है तो सरकार के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, धारा 7 के अधीन उक्त राजमार्ग के विभिन्न भागों के लिए भवन या नियंत्रण रेखाएं तय करे या ऐसी भूमियों पर धारा 42 के अधीन सुधार प्रभार अभिरोपित करें जिनका मूल्य ऐसे राजमार्ग पर सन्निर्माण या प्रस्तावित सन्निर्माण के कारण बढ़ गया है और उसके पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक वे राजमार्ग की सीमाओं और भवन रेखा के बीच अथवा भवन रेखा और नियंत्रण रेखा के बीच भवनों को लागू होता है, और ऐसे भवन या नियंत्रण रेखाओं के संबंध में अन्य उपबंध, जहां तक सुधार प्रभार उद्गृहीत किए जाने की बाबत इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं, यथावत लागू होंगे ।

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 1999

G.S.R. 515(E).—In exercise of the the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, the Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974 (Act No. 10 of 1974) as in force in the State of Goa at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In the Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974 unless the context otherwise requires, throughout the Act,—

(a) for the words 'Goa Daman and Diu', wherever they occur the words 'Dadra and Nagar Haveli' shall be substituted;

(b) for the words 'this Act', wherever they occur except in sub-section (1) of section 1, the words 'this Act as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli' shall be substituted;

(c) for the word 'Government', wherever they occur except in sub-section (2) of section 19 and section 20, the word 'Administrator' shall be substituted and there shall also be made such consequential changes as the rules of grammer may require.

2. In section 2, clause (a) shall be relettered as clause (aa) and before clause (aa) as so relettered, the following clause shall be inserted namely :—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli appointed by the President under article 239 of the Constitution;"

3. In section 19, in sub-section (2), for the word 'Government', the words 'Central Government' shall be substituted.

4. In section 20, wherever the word 'Government ' occurs, the words 'Central Government' shall be substituted.

5. In section 37, wherever the word 'Superintendent of Police' occur, the words 'Chief of Police' shall be substituted.

6. In section 66, for the words 'the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968', the words 'the Dadra and Nagar Haveli Land Reform Regulation, 1971' shall be substituted.

7. For sub-section (3) of section 72, the following shall be substituted :—

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one Session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in any such rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.'

[F. No. U-11015/11/95-UTL (198)]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

Annexure

The Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974

(Act No. 10 of 1974)

[21st June, 1974]

AN

ACT

to provide for the restriction of ribbon-development along highways, for the prevention and removal of encroachments thereon, for the construction, maintenance and development of highways, for the levy of betterment charges and for certain other matters connected therewith.

WHEREAS it is expedient to provide for the restriction of ribbon development along highways, for the prevention and removal of encroachments thereon, for the construction, maintenance and development of highways, for the levy of betterment charges and for certain other matters;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Highways Act, 1973.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu.

(3) This section shall come into force at once. The Government, may, by notification in the Official Gazette, direct that all or any of the remaining provisions of this Act, shall come into force in such area and on such date as may be specified in the notification :

Provided that the Government may, by notification issued in like manner, exclude any road or way or class of roads or ways situated in such area from the operation of all or any of the provisions of this Act.

2. **Definitions.**—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "animal" means any domestic or captive animal;

(b) "building" includes any erection of whatsoever material and in whatsoever manner constructed (including a farm building for agricultural purposes) and also includes plinths, doorsteps, walls (including compound walls and fences) and the like:

(c) "building line" means a line on either side of any highway or part of a highway fixed in respect of such highway or part by a notification under sub-section (1) of section 7;

(d) "control line" means a line on either side of a highway or part of a highway beyond the building line fixed in respect of such highway or part by a notification under sub-section (1) of section 7;

(e) "encroachment" means any unauthorised occupation of any highway or part thereof, and includes an unauthorised—

(i) erection of a building or any other structure, balconies, porches, projections, on or over or overhanging the highway;

(ii) occupation of a highway beyond the prescribed period, if any, for stacking building materials or goods of any other description, for exhibiting articles for sale, for erecting poles, awnings, tents, pandals, hoardings and other similar erections or for parking vehicles or stabling animals or for any other purpose, and

(iii) excavation or dumps of any sort made or extended on any highway or underneath such highway;

(f) "to erect" with its grammatical variations in relation to a building means to construct, reconstruct, extend or alter structurally a building;

(g) "excavation" in relation to any piece of land does not include any workings which do not pierce the surface of that piece of land; but includes wells and tanks;

(h) "Government" means the Administrator of the Union Territory of Goa, Daman and Diu appointed under article 239 of the Constitution;

(i) "highway" means any road or way over which the public have a right of way or are granted access and which is declared to be a highway under section 3 and for the purposes of this Act and includes—

(i) any land acquired or demarcated with a view to construct a highway along it;

(ii) the slopes, berms, borrow-pits, foot-paths, pavements, and side, catch and boundary drains attached to such road or way;

(iii) all bridges, culverts, tunnels, causeways, carriageways and other structures, constructed on or across such road or way; and

(iv) all trees, fences, posts, boundary, furlong and mile stones, and other highway accessories and materials stacked on the road or way or any land appertement to such highway;

(j) "Highway Authority" means the authority appointed as such or to which the functions of such authority are entrusted under section 4;

(k) "highway boundaries" means the boundaries of a highway fixed in respect of such highway by a notification under sub-section (1) of section 7;

(l) "means of access" includes any means of access, whether private or public, for vehicles or for foot passengers and includes any street;

(m) "middle of highway" means the point halfway between the highway boundaries,

(n) "occupier" includes :—

(i) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner rent or any portion of the rent of the premises in respect of which such rent is paid or is payable;

(ii) an owner living in or otherwise using his premises;

(iii) a rent-free tenant;

(iv) a licensee in occupation of any premises; and

(v) any person who is liable to pay to the owner damages for the use and occupation of any premises;

(o) "Official Gazette" means the Goa, Daman and Diu Government Gazette

(p) "owner" means,—

(1) when used with reference to any premises, the person who receives the rent of the said premises or who would be entitled to receive the rent thereof if the premises were let and includes—

(i) an agent or trustee who receives such rent on account of the owner;

(ii) an agent or trustee who receives the rent of, or is entrusted with, or concerned for, any premises devoted to religious or charitable purposes;

(iii) a receiver, sequestrator or manage appointed by any court of competent jurisdiction; and

(iv) a mortgagee-in-possession.

(2) when used with reference to an institution or body corporate, the manager of such institution or body corporate.

(q) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(r) "railway administration" has the same meaning as in the Indian Railways Act, 1890; Central Act, 9 of 1890

(s) "vehicle" includes a barrow, sledge, plough, drag and a wheeled conveyance of any description capable of being used on a highway;

(t) the expressions "land", "persons interested" and "person entitled to act" used in this Act shall have the same meanings as the said expressions have in the Land Acquisition Act, 1894. Central Act, 1 of 1894

CHAPTER II

Declaration of Highways, Highway Authorities and their Powers and Functions

3. Declaration of roads, ways or lands as highways.—The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any road, way or land to be a highway and classify it as—

(i) a State Highway,

(ii) a major district road,

(iii) other district road, or

(iv) a village road.

4. Appointment of Highway Authorities.—The Government may, by notification in the Official Gazette, appoint for the purposes of this Act or any of its provisions any persons or any authority to be a Highway Authority for all the highways in the Union territory of Goa, Daman and Diu, or in parts of the Union territory or for any particular highway or highways therein, specified in the notification.

5. Powers and duties of Highway Authorities.—Subject to such conditions as may be specified in the notification appointing a Highway Authority and subject to the general or special orders of the Government, a Highway Authority shall exercise powers and discharge duties in accordance with the provisions of this Act for the restriction of ribbon development along highways, for the prevention and removal of encroachments and for all matters necessary and incidental to any or all of the above subjects. Also subject to the approval of the Government and to such general or special orders which the Government may make in this behalf, it shall be lawful for a Highway Authority to undertake the construction, maintenance, development or improvement of highways.

6. Officers and servants of Highway Authority.—For the purpose of enabling a Highway Authority to exercise the powers conferred and to discharge the duties imposed upon it by or under the provisions of this Act, the Government may appoint such officers and servants as it deems necessary to work under such Authority.

CHAPTER III

Restriction of Ribbon development

7. Powers to fix boundary building and control lines of highways.—(1) In any area in which the provisions of this Act have been brought into force, and

(i) where either any road, way or land has been declared to be a highway under section 3, or the construction or development of a highway is undertaken or proposed to be undertaken, and

(ii) the Government considers it necessary to fix, as respects such highway, the highway boundary, the building line or control line the Government may, by notification in the Official Gazette, fix, as respects such highway, the highway boundary, the building line and the control line:

Provided that, having regard to the situation or the requirements of a highway or the condition of the local area through which a highway passes, it shall be lawful for the Government to fix different building or control lines in respect of any highway, or portions thereof.

(2) Not less than sixty days before issuing a notification under sub-section (1) the Government shall cause to be published in the Official Gazette and in the prescribed manner in the village and at the headquarters of the taluka, of the district in which the highway is situated a notification stating that it proposes to issue a notification in terms of sub-section (1), and specifying therein all the lands situated between the highway boundary and the control line proposed to be fixed under such notification and in the case of new works, also lands benefiting by the construction or development of the highway, as the case may be, together with a notice requiring all persons affected by such notification, who wish to make any objections or suggestions with respect to the issue of such a notification, to submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority or appear before such authority, within two months of the publication of the notification in the Official Gazette or within one month from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

(3) The highway Authority shall, after all such objects or suggestions have been considered or heard, as the case may be, and after such further inquiry, if any, as it thinks necessary, forward to the Government a copy of the record of its proceedings held by it together with a report setting forth its recommendations on the objections or suggestions.

(4) If, before the expiration of the time allowed by sub-section (2) for the filing or hearing of objections or suggestions, no objection or suggestion has been made, the Government shall proceed at once to issue the notification under sub-section (1). If any such objection or suggestion has been made, the Government shall consider the record and the report referred to in sub-section (3) and may either—

(a) abandon the proposal to issue the notification under sub-section (1), or

(b) issue the notification under sub-section (1) with such modification, if any, as it thinks fit.

(5) In considering the objections or suggestions, the decision of the Government on the question of issueing the notification under sub-section (1) shall be final and conclusive.

8. Map to be prepared and maintained.—(1) Within two months from the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 7 fixing the highway boundary, building line and control line with respect to any highway, the Highway Authority shall cause a map to be made of the area through which such highway passes and shall cause to be marked thereon the highway boundaries and building and control lines and any other particulars necessary for the purposes

of this Act and within one month from the date of making any alteration or addition thereto cause the said map to be corrected and such map with the date indicated thereon the last time which the same shall have been so corrected shall be kept in the office of the Highway authority.

(2) Such map, which shall bear the seal of the Highway Authority shall be open to inspection.

(3) Copies of such map shall also be kept for inspection at such other places as may be prescribed.

9. **Restrictions on buildings between highway boundary and building line and between building and control lines.**—(1) Notwithstanding anything contained in any law, custom, agreement or instrument for the time being in force, on and after the appointed day, the following restrictions shall, subject to the provisions of this Act, be in force, that is to say,—No person shall, without the previous permission in writing of the Highway Authority,—

(a) upon any land lying between the highway boundary and the building line proposed to be fixed under sub-section (2), or fixed under sub-section (1) of section 7, as the case may be,

(i) construct, form or layout any means of access to, or from a highway, or

(ii) erect any building, or

(iii) materially alter any existing building, or

(iv) make or extend any excavation, or

(v) construct, form or lay out any works; or

(b) upon any land lying between the building line and the control line proposed to be fixed under sub-section (2), or fixed under sub-section (1) of section 7, as the case may be,

(i) construct, form or layout any means of access to, or from a highway, or

(ii) erect any building, or

(iii) materially alter any existing building;

(c) use any building or later the use of any building already erected in a manner which, in the opinion of the highway Authority, will in any manner whatsoever, infringe any of the provisions of this Act or interfere with the use of a Highway adjoining the land on which such building is erected.

(2) Every person desiring to obtain such permission under sub-section (1) shall make an application in writing to the Highway Authority in such form and containing such information as may be prescribed in respect of the building, alteration, excavation, works or means of access, as the case may be, to which the application, relates.

(3) On receipt of such application, the Highway Authority, after making such enquiries as it may consider necessary, shall, by order in writing, either—

(a) grant the permission, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, or

(b) refuse to grant such permission;

provided that—

(i) permission under clause (a) of sub-section (1) to the making of any excavation or construction, formation or laying out of works in land for the purpose of repairing, renewing, enlarging or maintaining any underground sewer, drain, electric line, pipe, duct or other apparatus shall not be withheld nor be made subject to any conditions save such as may be necessary for securing that the sewer, drain, electric line, pipe, duct, or other apparatus shall be laid in such a manner and at such levels that the construction, maintenance, development or improvement of road thereover will not be prevented or prejudicially affected thereby;

(ii) permission under clause (b) of sub-section (1) to the erection or alteration of a building or laying out any means of access to a highway which conforms to the requirements of public health, and welfare and of safety and convenience of traffic on the adjoining road shall neither be withheld nor made subject to unreasonable conditions :

Provided that in the case of means of access required for agricultural purposes such permission shall neither be withheld nor be made subject to any conditions save such as may be necessary for securing that the means of access shall be used for agricultural purposes only;

IndiaCode

(iii) permission under clause (b) of sub-section (1) to the re-erection or alteration of a building which was in existence before the appointed day shall neither be withheld nor made subject to restrictions unless such re-erection or the alteration involves any material alteration to the outside appearance of the building.

(4) When the Highway Authority refuses permission. the reasons therefor shall be recorded and communicated to the applicant :

Provided that nothing herein contained shall debar a person from making a fresh application after omitting therefrom the objectionable features communicated to him as aforesaid on account of which such permission was refused

(5) If at the expiration of a period of three months after an application for such permission specifying the name and address of the applicant has been made to the Highway Authority, or such further period, not exceeding three months, as may have been notified by the Highway Authority, has elapsed and no decision has been notified in writing, posted or delivered to the applicant at that address, then (except as may otherwise be agreed in writing between the Highway Authority and the applicant) permission shall be deemed to have been given without the imposition be the Highway Authority of any conditions.

(6) The Highway Authority shall maintain a regsister with sufficient particulars of all permissions given or refused by it under this section and the register shall be available for inspection free of charge by all persons interested and such persons shall be entitled to take extracts therefrom.

Explanation—For the purpose of this section, "appointed day" shall, with reference to any highway boundary, building line or control line, mean,—

(1) the day on which a notification is published in the Official Gazette under sub-section (2) of section 7 proposing to fix such highway boundarty, building line or control line, and

(2) if any modification is made in such highway boundary, building line or control line, the day on which the notification is published under sub-section (1) of section 7, fixing such highway boundary, building line or control line.

10. **Appeal.**—(1) If any applicant is aggreived by any decision of the Highway Authority under section 9, withholding permission, or imposing any condition, he may appeal to the Government within thirty days from the date on which such decision was communicated to him.

(2) The Government may, afters having an opportunity to the applicant to be heard, make such order as it thinks fit upon the appeal and the decision of the Government shall be final.

11. **Exemption for works in progress, etc.**—(1) No restrictions inforce under section 9 shall apply to the erection or making of a building or excavation or to the construction formation or laying out, of any means of access or works begun before the appointed day referred to in section 9.

(2) No restrictions in force under section 9, except restrictions as to the construction, formation or laying out, of means of success, shall apply to any land forming part of a burial or cremation ground or other places for the disposal of the dead being land which has before the passing of this Act, been used for such purposes.

(3) No restrictions in force under section 9 shall apply to any excavation or works necessary in connection with any drains, ditches, or other drainage works for agricultural purposes or to any works necessary for the repair, renewal, enlargement or maintenance of any sewer, drain, electric line, pipe, duct, or other apparatus, constructed in or upon the land before the date on which the restrictions came into force or with the consent of the Highway Authority on or after that date.

12. **Setting back of buildings to building line or control line.**—Whenever any building or any part thereof erected before the appointed day referred to in section 9 lies between the building line and the middle of the highway, the Highway Authority may, whenever any such building or part has either entirely or in greater part been taken down, burnt down or fallen down, by notice require such building or part when re-erected to be set back to the building line or control line.

13. **Regulation or diversion of right of access to highway.**- (1) The Highway Authority may, if it is considered essential in the interests of safety or convenience of traffic, regulate or divert any existing right of acess to a highway across land lying between the control line and the highway boundary:

Provided that the existing right of access shall not be diverted until alternative access has been given.

(2) Where the existing right of access is diverted, the point at which alternative access is given to the highway shall not be unreasonably distant from the existing point of access.

(3) The Highway Authority shall, by notification in the Official Gazette, publish the date on which the existing right of access has been diverted and alternative access has been given.

14. **Powers of Highway Authority and officers and servants appointed under section 6 in respect of surveys.**—For the purpose of carrying out any of the provisions of this Act, the Highway Authority and the Officers and servants appointed under section 6 may—

(a) enter upon, survey and take measurements and levels of any land;

(b) mark such levels, dig or bore into the sub soil of any land ;

(c) demarcate the boundaries of the highway by planting stones or other suitable marks in different colours of a durable nature at intervals all along the highway in such a manner that the imaginary line joining such stones or marks shows the road boundary correctly;

(d) where there are bends or kinks on the road boundary, locate the stones or marks in different colours so as to give the correct configuration of the boundary if they are joined by straight lines;

(e) give consecutive numbers to such boundary stones or marks and maintain them on the ground as if they constituted part of the highway;

(f) lay out the building and control lines by placing marks in different colours and cutting trenches;

(g) if the survey cannot otherwise be made, or measurements of levels taken or boundaries marked and lines laid out, cut down and clear away any standing crops, trees, fence or jungle or any part thereof;

(h) do all other acts necessary in that behalf;

Provided that the Highway Authority shall not, except with the consent of the occupier thereof, enter or permit any of the officers or servants to enter any premises without previously giving such occupier at least forty-eight hours' notice in writing of its intention to do so.

15. **Acquisition of land or right or interest in land.**—(1) If at any time on the application of the Highway Authority the Government is satisfied that any land required for the purposes of a highway or any right or interest of any person in any land required for the said purposes should be compulsorily acquired or extinguished, as the case may be, it shall be lawful for the Government to publish a notification to that effect in the Official Gazette. Such notification shall also be published in such other manner as may be prescribed.

(2) A notification so published shall be deemed to be a declaration that the land is needed, or as the case may be, the right or interest is required to be extinguished for the purpose of the highway; and such declaration shall be conclusive that the land is so needed, or the right or interest is so required to be extinguished.

16. **Land required to be marked and measured.**—The Highway Authority or any officer or servant authorised by the Highway Authority shall thereupon cause the land to be marked out It shall also cause it to be measured and if no plan is made thereof, a plan to be made of the same.

17. **Public Notice and other notices of such requirements for acquisition.**—(1) The Highway Authority shall then cause a public notice to be given at convenient places on or near such land stating that the Government intends to take possession of the land, or, as the case may be, to extinguish any right or interest in the land and that claims to compensation for all interest in such land, or any right or interest in land to be extinguished may be made to such officer as the Highway Authority may designate.

(2) Such notice shall state the particulars of the land so needed or right or interest in land to be extinguished and shall require all persons interested in the land or in the right or interest to be extinguished to appear personally or by an agent before such officer as may be designated, at the time mentioned therein (such time not being earlier than fifteen days after the date of publication of the notice) and to state the nature of their respective right or interest in the land, or, as the case may be, in the right or interest to be extinguished and the amount and the particulars of their claims to compensation for such right or interest or both and their objections, if any, to the measurements made under section 16. The Highway Authority may, in any case, require such statement to be made in writing and signed by the party or his agent.

(3) The Highway Authority shall also serve notice to the same effect on the occupier of such land and on all such persons known or believed to be interested, therein or to be entitled to act for persons so interested as reside or have agents authorised to receive service on their behalf, within the district in which the land is situated.

(4) In case any person so interested resides, elsewhere, a notice shall be served in the manner provided in section 71.

18. **Persons required to make statements regarding other persons having interest.**—(1) The Highway Authority or the officer authorised by it may also require any such person to make or deliver to it or him at a time not being earlier than fifteen days after the date of the requisition, a statement containing, as far as may be practicable, the name of every other person possessing any interest in the land or in any part thereof, or, as the case may be, in any right or interest in land to be extinguished as co-proprietor, sub-proprietor, mortgagee, tenant or otherwise, and of the nature of such interest, and of the rents and profits, if any received or receivable on account thereof in respect of three years next preceding the date of such statement.

(2) Every person required to make or deliver a statement under this section or under section 17 shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 175 and 176 of the Indian Penal Code. (Central Act 45 of 1860)

19. **Taking possession of land.**—(1) At any time after the publication of a notification under section 15, the Government may direct that the land specified in the notification shall be taken possession of, or as the case may be, the right or interest specified therein shall be extinguished from such date as may be specified in the direction.

(2) From such date the said land shall vest absolutely in the Government free from all encumbrances, or, as the case may be, such right or interest therein shall be extinguished.

CHAPTER IV

Prevention of unauthorised occupation of and encroachment on a Highway and removal of encroachment

20. **Lands forming part of the highway deemed to be Government property.**—All lands forming part of a highway which do not already vest in the Government shall, for the purpose of this Chapter, be deemed to be the property of the Government.

21. **Prevention of unauthorised occupation of Highway.**—(1) No person shall occupy or encroach on any highway within the highway boundaries without obtaining the previous permission in writing of the Highway Authority or an officer authorised in this behalf by the Highway Authority.

(2) The Highway Authority or an officer authorised by the Highway Authority in this behalf may, with due regard to the safety and convenience of traffic and subject to such conditions as may be imposed and such rules as may be prescribed by the Government and on payment of such rent or other charges as may be prescribed under such rules, permit any person :—

(i) to place a temporary encroachment on any highway in front of any building owned by him or make a temporary structure overhanging the highway, or

(ii) to put up a temporary awning or tent, pandal or other similar erection or a temporary stall or scaffolding on any highway, or

(iii) to deposit or cause to be deposited building materials, goods for sale or other articles on any highway, or

(iv) to make temporary excavation for carrying out any repairs or improvements to adjoining buildings;

Provided that no such permission shall be deemed to be valid beyond the period of six months unless expressly renewed by the Highway Authority or the authorised officer.

(3) The permission so granted shall clearly specify the date upto which the person is authorised to occupy the highway, the purpose for which occupation is authorised and the exact portion of the highway permitted to be occupied, and shall also be accompanied by a plan or sketch of that portion of the highway, if necessary.

(4) The person in whose favour such a permission has been given shall produce the permit for inspection whenever called upon to do so by the Highway Authority or an officer authorised under sub-section (1) and shall at the end of the period specified in the permit release the land occupied by him after restoring it to same state as before the occupation by him.

(5) The Highway Authority or the officer issuing the permission shall maintain a complete record of all such permissions issued, and shall also cause a check-up to be made in every case at the expiration of the period upto which occupation has been authorised to ensure that the land has actually been vacated.

22. Power to cancel permit.—(1) The Highway Authority may cancel any permission granted under section 21—

(a) if any rent or charge is not duly paid.

(b) if the purpose for which the permission was given has ceased to exist.

(c) in the event of any breach by the holder of such permission or any terms or conditions of such permission.

(d) if the land on which such encroachment has been made is required for any public purpose or such encroachment is causing inpediment or danger to traffic.

(2) Where the permission has been cancelled under clause (b) or (d) of sub-section (1) any rent or charge paid in advance shall be refunded to the holder of such permission less the amount, if any, due to the Government.

23. Prevention of encroachment.—(1) when as a result of check of highway boundaries made or otherwise, it transpires that an encroachment has taken place on a highway, the Highway Authority or the officer authorised under sub-section (1) of section 21 shall serve a notice on the person responsible for the encroachment or his representative requiring him to remove such encroachment and restore the land to its original conditions before the encroachment within the period specified in the notice.

(2) The notice shall specify the land encroached upon and the time limit within which such encroachment shall be removed and shall also state that failure to comply within the specified period shall render the person liable to prosecution and also to summary eviction.

(3) If the encroachment is not removed within the time limit specified in the notice and no valid cause is shown for non-compliance, the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) may prosecute such person before the appropriate Magistrate for his having made or caused the encroachment and for his failure to remove it within the specified time.

(4) Where the encroachment is made for the purpose of exposing articles for sale, opening temporary booths for vending or other like purpose of a trivial nature, the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) may, with the help of the police, if necessary, have such encroachment summarily removed without issuing a notice as required by sub-section (1) or in lieu of removal of the encroachment, may give the person responsible for the encroachment option of executing a lease in favour of the Highway Authority on payment of rent for the area encroached upon.

(5) When the encroachment is of a temporary nature and can easily be removed but is not such as can be described as trivial within the meaning of sub-section (4), the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) may in addition to or in lieu of prosecuting the person responsible for the encroachment under sub-section (3), have the encroachment summarily removed with the assistance of the police, if necessary.

(6) Where the encroachment is of such a nature that its immediate removal is considered essential in the interests of safety of traffic on the highway or the safety of any structure forming part of the highway, the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) may, in addition to prosecution of the person under sub-section (3), either—

(i) have such protective work, as may be feasible at a reasonable cost, carried out so as to minimise the danger to traffic on the highway or

(ii) have the encroachment removed with the help of the police, if necessary.

24. Appeal against notice served under sub-section (1) of section 23.—Where the person on whom notice to remove an encroachment has been served under sub-section (1) of section 23 lays claim that the land in respect of which encroachment has been alleged in his property or that he has acquired a right over it by virtue of adverse possession or otherwise, he shall, within the time-limit prescribed in the notice for the removal of the encroachment, file an appeal before the Collector under intimation to the Highway Authority or the officer authorised under sub-section (1) of section 21, as the case may be. The Collector shall after due enquiry record his decision in writing and communicate the same to the appellant and the Highway Authority or such offcer. The Highway Authority or such officer shall till then desist from taking further action in the matter.

25. Recovery of cost of removal of encroachment.—(1) Whenever the Highway Authority or the officer authorised under sub-section (1) of section 21 has under the provisions of section 23, removed any encroachment or carried out any protective work in respect of any encroachment, the expenditure involved shall be recovered from the person responsible for

the encroachment in the manner hereinafter provided.

(2) A bill, representing the expenditure incurred shall be served by the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) on the person responsible for the encroachment or his representative with a direction to pay up the amount within a specified period to the Authority mentioned in the bill.

(3) The bill shall be accompanied by a certificate from the Highway Authority or the authorised officer referred to in sub-section (1) to the effect that the amount of expenditure indicated in the bill represents the charges incurred and such a certificate shall be conslusive proof that the charges had actually been incurred.

(4) The materials, if any, recovered as a result of the removal of any encroachment shall be handed over to the person responsible for the encroachment on payment of the amount of the bill by him but in the event of his failure to pay up the amount within the specified period, the materials may be auctioned and after deducting the amount of the bill from the proceeds, the balance, if any, shall be made over to such person.

(5) If the proceeds of the auction sale do not cover the total amount billed for, the excess over the amount realised by the sale of materials, or if there are no materials to dispose of and the billed amount has not been paid by the person responsible for the encroachment within the specified period; the entire amount of the bill shall be recovered from such persons as an arrear of land revenue.

CHAPTER V

Compensation

26. Doing minimum damage in certain cases and compensation.—In the exercise of the powers under the following provisions by the Highway Authority or any officer or servant appointed under section (6) or any other person authorised by or under this Act by the Government, as little damage as can be, shall be done and compensation in the manner prescribed by or under this Act shall be paid to any person who sustains damage in consequence of the exercise of such powers namely :—

(a) the imposition of restrictions under section 9;

(b) the setting back of any building or part thereof under section 12;

(c) the regulation or diversion of any right of access to a highway under section 13;

(d) the entry, survey, measurement and doing of any of the acts on any land under section 14;

(e) the acquisition of any land or the extinguishment of any right or interest in the land under section 15;

(f) the closure of any highway or part thereof under section 52.

27. Determination of amount of compensation by agreement.—The amount of compensation payable under section 26, the persons to whom it is to be paid and the apprortionment of such amount among the persons interested therein shall be determined by agreement between the Highway Authority or any officer authorised by Government and the person or persons claiming interest therein.

28. Determination of amount of compensation in default of agreement.—(1) In default of any agreement under section 27, the Highway Authority or the officer authorised by the Government shall, subject to the provisions of this Act, after holding an enquiry make an award determining—

(a) the true area of the land, if any, acquired,

(b) the amount of compensation to be paid under section 26,

(c) the apportionment, if any, of such compensation among all persons known or believed to be entitled thereto :

(2) In determining the amount of compensation, the Highway Authority or the officer so authorised shall be guided by the provisions contained in section 23 and 24 and other relevant provisions of the Land Acquisiton Act, 1894, (Central Act, 1 of 1894) subject to the modification that references in section 23 and 24 of that Act to the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 4 thereof, were references to the date on which the declaration under section 15 of this Act is published; and the references to the time or date of publication of the declaration under section 6 of that Act were references to the date of publication of the declaration under section 15 of this Act.

29. **No compensation if similar restrictions in force under any other law or if compensation already received.**—No compensation shall be awarded—

(i) if and in so far as the land is subject to substantially similar restrictions in force under some other law which was in force on the date on which restrictions were imposed by this Act;

(ii) if compensation in respect of the same restrictions imposed under this Act or substantially similar restrictions in force under any other law has already been paid in respect of the land to the claimant or to any predecessor in interest of the claimant.

30. **Compensation for refusal of permission to build not exceed difference between its value when it was refused and when it would have been granted.**—When permission to erect any building has been refused under section 9 or 10, the amount of compensation shall not exceed the difference between the value of the land as determined by section 23 or 24 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894) and the value which it would have had if the permission had been granted. In determining such value any restrictions to which the land is subject under any other law for the time being in force in regard to the right of person claiming compensation to erect a building on the land or otherwise to use, hold or dispose of the same shall be taken into consideration.

31. **Compensation for diversion of access not to exceed cost alternative access.**—Where the right of access to a highway has been destroyed as a result of the diversion or closure thereof and an alternative access has been given the amount of compensation shall in no case exceed the cost of laying a new means of access from the property of the claimant to such alternative route.

32. **Compensation for cutting of standing crops, trees etc.**—(1) At the time of an entry, survey or measurement or doing of any of the things under section 14, the officer making the entry, survey or measurement or doing any other thing shall pay or tender to any person entitled compensation for all necessary damage done as a result of such entry, survey measurement or execution of the work, including the cutting of standing crops, trees, or removal of temporary structures, if any, on the land. If the sufficiency of the amount so paid or tendered is disputed, the officer concerned shall at once refer the dispute to the Highway Authority and the said Authority shall with the least practicable delay decide the dispute and pay the person entitled the amount determined as compensation. The decision of the Highway Authority shall be final.

(2) If at the time of taking possession of the land under section 19 there are any standing crops, trees, or temporary structures on the land, the Highway Authority shall pay or tender to the person entitled the amount of compensation of such standing crops, trees, or temporary structures. If the sufficiency of such amounts is disputed, the value of such crops, trees and temporary structures shall be taken into consideration in determining the amount of compensation for the land under section 28.

33. **No compensation for unauthorised erections.**—If any person has unauthorisedly erected, re-erected, or added or altered any building on any land which is acquired of the purpose of a highway, then any increase in the value of the land from such erection, re-erection, addition or alteration shall not be taken into account in estimating the value of the land.

34. **No compensation for removal of encroachment.**—No compensation shall be payable for the removal of any encroachment.

35. **Reference against award of Highway Authority or authorised officer under section 28.**—(1) Any person aggrieved by the award of the Highway Authority or the officer authorised under section 28 may, by a written application to the Highway Authority or such officer, as the case may be, require that the matter be referred to the Civil Judge within the limit of whose jurisdiction such land is situated.

(2) Any such application shall be made within sixty days from the date of the award, and shall be in such form as may be prescribed.

(3) The provisions of sections 5, 12 and 14 of the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963) shall apply to the computation of the time fixed for making the application under sub-section (2).

(4) The Highway Authority or the officer authorised shall make the reference in such manner as may be prescribed.

36. **Procedure and powers of the authorities empowered to decide references under sections 35 and 44.**—(1) References under sections 35 and 44 shall be deemed to be proceedings within the meaning of section 141 of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act of 1908) and in the trial thereof the authorities empowered to decide such references may exercise all the powers of a civil court under that Code.

(2) The scope of the enquiry in a reference under section 35 or 44 shall be restricted to a consideration of the matters referred to the authorities mentioned in sub-section (1) in accordance with the provisions of this Act.

37. **Superintendent of Police to enforce surrender or remove any encroachment.**—If the Highway Authority or any officer or servant is opposed or impeded in taking possession of any land or in executing any work or in removing any encroachment under this Act, the Highway Authority or officer or servant concerned shall apply to the Superintendent of Police or such Police Officer as the Government may empower in this behalf, and the Superintendent or the officer so empowered shall enforce the surrender, removal or execution as the case may be.

38. **Decisions of authorities under sections 35 and 44 to be enforced as decrees of civil court.**—The decisions of the authorities empowered to decide references under sections 35 and 44 shall be enforceable as decrees of a civil court.

39. **Payment of compensation awarded.**—(1) On the determination of compensation by agreement under section 27, or

(2) on the making of an award under section 28 or

(3) if a reference is made under section 35 against such award, after the decision of the authority under the section,

the Highway Authority shall make the payment of the compensation awarded to the person entitled thereto in accordance with the agreement, its award or the decision of the authority empowered to decide references under section 35, as the case may be. The provisions of section 31 to 34 (both inclusive) of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894), shall *mutatis mutandis*, apply to such payment.

40. **Adjustment of payment.**—All payments due to be made to any person by way of compensation by the Highway Authority under this Act shall, as far as, possible, be made by adjustment in such person's account regarding betterment charges, if any, due from such person under Chapter VI.

CHAPTER VI

LEVY OF BETTERMENT CHARGES

41. **Notice to owners and persons interested.**—Where any work, which the Highway Authority is empowered to undertake by or under the provisions of this Act is undertaken, the officer authorised by the Government in this behalf shall give notice to the persons known or believed to be the owners or interested in the lands benefited by such work requiring them to appear before him either personally or by an agent at a time and place therein mentioned (such time not being earlier than 30 days from the date of notice) to their objections, if any, to the imposition and recovery of betterment charges on such lands

Provided that no such notice shall be given unless the Collector with the previous sanction of the Government has declared that the value of such lands is likely to increase or has increased by reason of the construction of such work.

42. **Inquiry and order.**—On the date fixed under section 41 or on such other date to which the inquiry may be adjourned the officer authorised under section 41 shall, after holding a formal inquiry and after hearing the objections, if any, stated by the persons as required by notice under section 41, make an order. The order shall specify—

(a) the lands benefited by the construction of the work.

(b) the increase in the value of such lands by the proposed construction;

(c) the amount of the betterment charges leviable on each of the said lands;

(d) the date from which such betterment charges shall be leviable :

Provided that no betterment charges shall be leviable in respect of any land—

(a) which is unsuitable for development as a building site, or

(b) which is situate beyond a distance of two hundred metres from the middle of the highway on either side.

43. **Increase in value and betterment charges.**—The increase in value on account of the construction of such work shall be the amount by which the value of the land on the date of the completion of the proposed work is likely to exceed or has exceeded the value of the land on the date of the commencement of the said work and the betterment charges shall be one-half of such increase in value.

Explanation.—For the purpose of this section, the Government shall, by notification in the Official Gazette specify—

(a) the date of commencement of the construction of any work.

(b) the date of completion of such work.

44. **Reference against order of authorised officer under section 42.**—(1) Any person aggrieved by the order fixing the betterment charges may, by a written application to the officer authorised under section 41, require that the matter be referred to the Civil Judge (Senior Division).

(2) Any such application shall be made within six weeks from the date on which the order of the officer referred to in sub-section (1) was communicated to such person and shall be in such form as may be prescribed.

(3) The provisions of sections 5, 12 and 14 of the Limitation Act, 1963 (36 of 1963), shall apply to the computation of the time fixed for reference under sub-section (2).

(4) The officer authorised under section 41 shall make the reference in such manner as may be prescribed.

45. **Finality of order fixing betterment charges and of decision on reference.**—The order fixing the betterment charges made under section 42, subject to a reference to the authority specified in section 44 and the decision of such authority on such reference shall be final.

46. **Betterment charges to be first charge on land next to land revenue.**—From the date specified in the order fixing the betterment charges as the date from which such charges shall be leviable, or from such date as may be otherwise specified by the authority specified in section 44 as the date from which such charges shall be leviable, the betterment charges recoverable in respect of any land shall, subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the Government thereon, be a first charge on the land in respect of which such betterment charges are leviable.

47. **Payment of betterment charges.**—The betterment charges shall be payable on the date fixed under the rules made by the Government under section 72 :

Provided that the owner of the land on which such charges are imposed may execute an agreement in favour of the Government agreeing to pay the amount of such charges by annual instalments together with interest at such rate and within such period as may be prescribed.

48. **Relinquishment of an exchange or land in lieu of payment of betterment charges.**—Notwithstanding anything contained in section 47, the Government may allow the owner of the land on which the betterment charges may be payable to relinquish the whole or any part of the land or to deliver it in exchange in lieu of payment of the charges, in favour of the Government on such conditions as may be prescribed :

Provided that no such relinquishment or exchange shall be permitted unless the land is free from encumbrances.

CHAPTER VII

Supplemental provisions to secure safety of traffic and prevention of danger to Highways

49. **Prevention of danger arising from obstruction of view etc., of persons using any highway.**—(1) Whenever the Highway Authority is of the opinion that it is necessary for the prevention of danger arising from obstruction of the view of persons using any highway, or from distraction of attention of such persons expecially at any bend or corner of the highway, it may, save as otherwise provided in section 11, serve a notice upon the owner or occupier. of land alongside or at the bend or corner of such highway to alter within such time and in such manner as may be specified in the notice, the height or character of any existing wall (not being a wall forming part of a permanent structure) fence, hedge, tree, advertisement post, bill board or any other object thereon, so as to cause it to confirm with any requirements specified in the notice.

(2) If any peroson upon whom a notice has been served under sub-section (1) objects to comply with any requirement of such notice, he may, within one month of its receipt, send to the Highway Authority his objection in writing stating the grounds thereof.

(3) The Highway Authority shall, within one month of the receipt of the objection, consider the grounds advanced and shall, by order in writing, either withdraw the notice or amend or confirm it.

(4) If a person is aggreived by an order issued by the Highway Authority under sub-section (3) he may prefer an appeal within 15 days from the date when such order was communicated to him, to the Collector whose decision in the matter shall be final.

(5) If any person fails to comply with the notice served on him under sub-section (1) as amended or confirmed, as the case case may be, under sub-section (3), the Highway Authority may take action to alter the object causing obstruction of view or distraction of attention at its own expense, and such expenditure shall be recovered from such person in accordance with the provisions of section 25, without prejudice to any other action which may be taken against him.

50. **Highway Authority to regulate traffic when highway declared unsafe.**—If at any time it appears to the Highway Authority that any highway in its charge or any portion thereof is or has been rendered unsafe for vehicular or pedestrian traffic by reason of damage or otherwise, it may, subject to such conditions as may be prescribed in this behalf, either close the highway or the portion of it to all traffic or to any class of traffic, or regulate the number and speed or weight of vehicles using the highway.

51. **Prohibition of use of heavy vehicles on certain highways.**—Where the Highway Authority is satisfied that any highway or a portion thereof, or any bridge, curlvert or causeway built on or across any highway is not designed to carry vehicles of which the laden weight exceeds such limit as may be fixed by the Highway Authority in this behalf, it may, subject to such conditions as may be prescribed, prohibit or restrict the plying of such vehicles on or over such highway or such part of the highway or such bridge, culvert or causeway.

52. **Procedure to be followed when Highway Authority desires permanently to close any highway.**—(1) where, in exercise of the powers conferred on it by section 50, the highway Authority desires permanently to close down any highway or part thereof, it shall give notice of its intention so to do in the Official Gazette. The notification shall also be published in at least two newspapers. one of which, shall be in the spoken language of the place in which the highway is situated.

(2) The notice shall indicate the alternative route, if any, which is proposed to be provided or which may already be in existence, and shall also invite objections, if any, to the proposal to be submitted within such time as may be specifed.

(3) The Highway Authority shall finalise its proposal to close down any highway or part of it after considering the objections, if any, received within the specified time and shall submit the final proposal to the Government for approval together with such objections as may have been received against the proposal.

(4) The Government may either approve the proposal, with or without modifications, or reject it.

(5) When the Government has approved the proposal it shall publish its orders in the Official Gazette.

(6) When the orders of the Government have been published in the Official Gazette, the Highway Authority shall arrange for further publicity to be given to the orders in at least two newspapers one of which shall be in the spoken language of the place in which such highway is situate and the highway or part thereof shall then be closed.

(7) Whenever any highway or any part thereof has been so closed, reasonable compensation shall be paid to every person who was entitled, otherwise than as a mere member of the public, to use such highway or part thereof as a means of access to or from his property and has suffered damage for such closure.

53. **Consent of Highway Authority required to do certain acts on highway.**—(1) Notwithstanding anything contained in any other enactment for the time being in force but subject to the provisions of section 73, no person other than the Highway Authority or any person authorised by it shall construct or carry any cable, wire, pipe, drain, sewer or channel of any kind through, across, under or over any highway, except with the permission in writing of the Highway Authority.

(2) In giving its consent, the Highway Authority may impose such conditions as it may deem to be necessary, and may also impose a rent or other charge for any land forming part of the highway occupied by or applied to the proposed work.

(3) If any person constructs or carries out any work in contravention of sub-section (1), the Highway Authority may arrange for the removal of such work and restoration of the highway to its former condition in accordance with the provisions of section 23, as if the work constituted an encroachment on the highway and such expenses as the Highway Authority may incur for this purpose, shall, without prejudice to any other action that may be taken against such person, be recovered from him in accordance with the procedure provided in section 25 in so far as that procedure is applicable.

54. **Prevention and rectification of damaged highway.**—(1) No person shall wilfully cause, or allow any vehicle or animal in his charge to cause any damage to any highway.

(2) Where in contravention of sub-section (1) any damage has been caused to any highway, the Highway Authority shall have the damage repaired and the expenses involved shall, without prejudice to any other action that may be taken against the person responsible for the contravention of sub-section (1) be recovered from him in accordance with the procedure provided in section 25 in so far as that procedure is applicable.

54A. **Power of Government to levy fees for services or benefits rendered on highways, etc.**—(1) The Government may, be notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for services or benefits rendered in relation to the use of permanent bridges costing more than rupees twenty five lakhs constructed on State Highway, major district roads and village roads, which are thrown open for the public on or after the first day of January, 1986 :

Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by like notification, specify any bridge in relation to the use of which fees shall not be leviable under this section.

(2) Such fees when so levied shall be collected in accordance with the rules made under this Act.

54B. **Power of Government to levy fees for use of roads, etc.**—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at such rates as may be laid down by rules made in this behalf for use of State Highway, major district roads and village roads, or any portion thereof, which are thrown open for the public on or after the first day of January, 1988 :

Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, it may, by like notification, specify any State Highways, major district roads and village roads or any portion thereof in relation to the use of which fees shall not be leviable under this section.

(2) Such, fees, when so levied, shall be collected in accordance with the rules made under this Act.

CHAPTER VIII

Penalties

55. **Disobedience of orders, instructions, and refusal to give information, etc.**,—Whoever wilfully disobeys any direction lawfully given by any person or authority empowered under this Act to give such direction, or obstructs any person or authority in the discharge of any functions that such person or authority is required or empowered under this Act to

discharge, or being required by or under this Act to supply any information, withholds such information or gives such information which he knows to be false or which does not belive to be true shall, on conviction, be punished with fine which may extend to two hundred rupees.

56. **Contravention of restrictions relating to access or erecting a building, etc.**—Whoever erects, alters or extends any building, or makes any excavation, or constructions any means of access to or from a Highway or does any other work in contravention of the provisions of section 9 shall, on conviction, be punished—

(a) with fine which may extend to five hundred rupees. and

(b) with further fine which may extend to one hundred rupees for each day after such conviction, during which the offending structure or work is not removed, demolished or cleared and the site not restored to its original conditions.

57. **Unauthorised occupation of highway.**—Whoever—

(a) occupies or makes any encroachment on any highway in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 21, or

(b) fails to comply with the notice served on him under sub-section (1) of section 23 for no valid reason—

shall on conviction be punished—

(a) for a first offence with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(b) for a subsequent offence in relation to the same encroachment with fine which may extend to five hundred rupees plus a further fine not exeeding fifty rupees par day on which such occupation of the highway or encroachment continues.

58. **Causing damage to highways.**—Whoever in contravention of sub-section (1) of section 54 wilfully causes, or allows any vehicle or animals in his charge to cause any damage to any highway, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees.

59. **General provision for punishment of offences.**—Whoever contravences any provision of this Act or of any rule or order made thereunder shall, if, no other penalty is provided for the offence under this Act, on conviction, be punished—

(a) for a first offence with fine which may extend to fif ty rupees,

(b) for a subsequent offence with fine which may extend to two hundred rupees.

60. **Power to compound offences.**—Any offence committed under this Act may be compounded by the Highway Authority and if any proceedings have been instituted against any person in any criminal court, then on the terms of the compromise being carried out, the composition shall, be held to amount to an acquittal and in no case shall any further proceedings be taken against such person or any property of such person with reference to the same facts.

61. **Powers of revision of Government.**—The Government may at any time call for and examine the records relating to any order passed or proceeding taken under this Act by the Highway Authority or any officer subordinate to the Highway Authority for the purpose of satisfying itself as to the legality or correctness of such order or proceeding and may pass such order in preference thereto as it thinks fit:

Provided that no order shall be modified, annulled or reserved unless notice has been served on the parties interested and opportunity given to them for being heard.

CHAPTER IX

Miscellaneous

62. **Powers and duties of police.**—Every police officer shall forthwith furnish information to the nearest Highway Authority, or the nearest officer subordinate to the Highway Authority of any offence coming to the knowledged which has been committed against this Act, or any rule made under this Act, and shall be bound to assist the Highway Authority and its officers and servants in the exercise of their lawful authority.

63. **Duties of village officials.**—Every village headman, village accountant, village watchmen or other village official by whatever name called, shall forthwith infrom the nearest police station or the nearest Highway Authority, whenever he becomes aware that any survey mark or any boundary mark of any highway or any mark showing the building or control line determined in respect of a highway has been destroyed, damaged, removed, displaced or otherwise tampered with, or that any damage to any highway or encroachment on any highway has been made.

64. **Power to utilise highway for other than road purposes.**—The Highway Authority may utilise temporarily for other than road purposes land forming part of a highway, which is not immediately required for the passage of traffic, and dispose of the produce of such land.

65. **Summary eviction.**—Any person wrongfully occupying any land.—

(a) which is a part of a highway, and

(b) the occupation of which contravenes any of the provisions of this Act and the said provisions do not provide for the eviction of such person.

shall be summarily evicted by the Collector and such eviction shall be made in the following manner, namely :—

(i) by serving a notice on the person or persons in possession requiring them within such time as may appear reasonable after receipt of the said notice to vacate the land, and

(ii) if such notice is not obeyed, by removing or deputing a subordinate to remove any person who may refuse to vacate the same; and

(iii) if the Officer removing and such person shall be resisted or obstructed by any person, the Collector shall hold a summary inquiry into the facts of the case, and if satisfied that the resistance or obstruction still continues, may, without prejudice to any proceedings to which such person may be triable under any law for the time being in force for the punishment of such resistance or obstruction, issue a warrant for the arrest of the said person, and on his appearance send him with a warrant for imprisonment in the civil jail of the district for such period not exceeding thirty days, as may be necessary to prevent the continuance of such obstruction or resistance.

66. **Inquiries to be held summarily.**—(1) The Highway Authority or the officer authorised by Government in this behalf shall, if he desires to make any inquiry for the purposes of this Act, make the inquiry in the manner provided for holding a summary inquiry under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968, (9 of 1969) and all the provisions contained in the said Code relating to the holding of a summary inquiry, shall, so far as may be, apply.

(2) The Highway Authority and the officer authorised by the Government or the Highway Authority under this Act shall have the same powers for summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath and compelling the production of documents as are vested in the revenue officers under the Goa, Daman and Diu Land Revenue Code, 1968 (9 of 1969).

67. **Registration of map made under section 8 not required.**—(1) Nothing in the Registration Act, 1908, (Central Act of 1908) shall be deemed to require the registration of map made under section 8.

(2) All such maps shall, for the purposes of section 49 and 50 of the registration Act, 1908, (Central Act 16 of 1908) deemed to have been and to be registered in accordance with the provisions of that Act :

Provided that the maps shall be accessible to the public in the manner prescribed.

68. **Certain persons to be public servants.**—The Highway Authority, the officers and other persons authorised or appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. (Central Act 45 of 1860).

69. **Bar of jurisdiction.**—No Civil Court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is by or under this Act required to be settled, decided or dealt with by the Highway Authority, the Collector, an officer or person authorised under this Act, any Authority under section 35 or section 44 or the Government.

70. **Protection of persons acting in good faith and limitation of suit or prosecution.**—(1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any public servants or officer or person duly authorised under this Act in respect of anything in good faith done or intended to be done under this Act, or the rules or orders made thereunder.

(2) No suit or prosecution shall be instituted against any public servant or officer or person duly authorised under this Act, in respect of anything done or intended to be done under this Act, unless the suit or prosecution has been instituted within six months from the date of the act complained of.

71. services of notices and bills.—Every notice or bill issued or prepared under this Act, may be served or presented,—

(a) by delivering or tendering it or sending it by post to the person to whom it is addressed, or his agent, or

(b) if such a person or his agent is not found then by leaving it at his usual or last known place of abode or by delivering or tendering it to some adult male member of his family or by causing it to be fixed on some conspicuous part of the building or land, if any, to which it relates.

(2) Where a notice under this Act is required to be served upon an owner or occupier of a building or land , it shall not be necessary to name the owner or occupier, and the service thereof may be effected either—

(a) by delivering or tendering the notice or sending it by post to the owner or occupier or if there be more owners or occupiers than one, to any of them, or

(b) if no suh owner or occupier is found, then by giving or tendering the notice to any adult male member or servant of his family or by causing the notice to be fixed on some conspicuous part of the building or land to which the same relates.

(3) Whenever the person to whom a notice or bill is to be served is a minor, service upon his guardian or upon an adult male member or servant of his family shall be deemed to be service upon the minor.

72. **Power to make rules.**—(1) The Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to the condition of previous publication, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Government may make rules for all or any of the following matters :-

(a) the manner in which the notification may be published in the village and at the headquarters of the taluka, tahsil or mahal under sub-section (2) of section 7;

(b) the other places at which copies of the map may be open to inspection under section 8;

(c) the form of application and its contents under sub-section (2) of section 9;

(d) the other manner of publishing the notification under section 15;

(e) the conditions on which and the amount of rent or charge on payment of which encroachments may by

made on a Highway;

(f) the manner in which a reference shall be made under section 35 or 44;

(g) fixation of the date on which the betterment charges shall be payable under section 47 and instalments together with the rate of interest and the period within which such instalments shall be paid under the proviso to the said section;

(h) the conditions on which anyland may be relinquished or delivered in exchange in favour of the Government under section 48;

(i) conditions subject to which any highway or portion of it may be closed to traffic or any class of traffic or the number and speed or weight of vehicles using the highway may be regulated under section 50;

(j) conditions subject to which playing of vehicles may be prohibited under section 51;

(k) the prevention of danger arising from obstruction of view of persons using highway or from distraction of their attention and the prevention of annoyance, danger or injury to the public;

(l) the prevention of obstruction, encroachment and nuisances on or near and of damages to highways;

(m) the proper maintenance of boundary marks demarcating highway boundaries and building and control lines;

(n) the prescription of various forms of applications required to be made and the forms of notices and bills required to be served on persons, the charges to be made for the supply of copies of maps, and the rent or other charges to be imposed or levied under the provisions of this Act;

(o) the general guidance of the Highway Authority in the discharge of its functions under this Act.;

(p) regulation or diversion of existing rights of access;

(q) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the sessions in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly agrees in making any modification in any such rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however,that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

73. Savings.—(1) Subject to the provisions of this section, nothing in this Act shall affect—

(a) the rights of any local authority to make any excavation for the purpose of laying, making, altering, repairing or renewing any sewer, drain, water course or other works; or

(b) the rights of any authority appointed under any law for the time being in force for gas or water, electricity, railways, tramways, or trolly vehicles to erect any support or make any excavation for the purposes of laying, making altering, repairing or renewing any main pipe, sluice, weir, electric line, duct, drain or other apparatus; or

(c) any land belonging to a railway administration or belonging to or used by a person holding a licence or sanction for the generation, transformation or distribution of electricity under the Indian Electricity Act, 1910, (Central Act 9 of 1910) when such land is held or used by the railway administration or such person, as the case may be, for the purpose of the railway

or for generation, transformation of distribution of electricty, except in so far as they may consent thereto; or

(d) any land within the limit of a cantonment or a port declared by or under any law made by Parliament or existing law to be a major port;

(e) any land within the jurisdiction of a local authority under the administrative control of the Central Government,

Provided that—

(i) any restrictions in force under section 9 as to construction, formation or laying out of means of access to, or from , any road, shall without any such consent, as aforesaid, extend to any such land as it specified in clause (c) in so far as the restrictions relate to means of access over or under such land to, or from, land other than land so specified; and

(ii) any consent required for the purposes of this section shall not be unreasonably withheld and the question whether or not the consent so required is unreasonably withheld shall be determined by the Government whose decision on the question shall be final.

(2) Nothing is this Act shall affect any powers and duties of the telegraph authority under the provisions of the Indian Telegraph Act, 1885. (Central Act 13 of 1885)

74. **Provisions of this Act or rules to prevail over inconsistent provisions in other laws.**—Save as provided in section 73, the provisions of this Act or rules made thereunder inregard to any matter dealt with hereby shall prevail over the provisions of any other law made by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu or any law which the said Legislature is competent to make or to amend, in so far as such law is inconsistent with the said provisions or rules, and such law to the extent of such inconsistency shall cease to apply or shall not apply to any such matter.

75. **Buildings and control lines along National Highways and levy of betterment of charges.**—For the avoidance of doubt it is hereby declared that nothing in this Act shall apply to highways which are or have been declared by or under any law made by Parliament to be national highways :

Provided that if any highway is declared to be a national highway under the National Highways Act, 1956, (Central Act 48 of 1956) it shall be lawful for the Government with the prior approval of the Central Government, to fix the building and control lines for different portions of the said highway under section 7 or to levy betterment charges under section 42 on lands the value of which has increased by reason of the construction or proposed constuction of such highway and thereafter the provisions of this Act in so far as they apply to the restrictions on buildings between the highway boundary and the building line or between the building line and the control line and other provisions relating to such building and control lines or as the case may be, the provisions of this Act relating to the levy of betterment charges, shall, *mutatis mutandis*, apply.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999